रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 14, 2018/ज्येष्ठ 24, 1940
No. 228] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 14, 2018/JYAISTHA 24, 1940

IndiaCode

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,

(उपभोक्ता मामले विभाग)

(भारतीय मानक ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2018

फा. सं. बीएस/11/05/2018.—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 13 और धारा 14 के साथ पठित धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) विनियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषा – इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "अधिनियम" से मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 अभिप्रेत है।

(ख) "कैरेट" से प्रति चौबीस भागों में व्यक्त सोने के अंश की मात्रा और कुल मात्रा के बीच के अनुपात अभिप्रेत है ।

(ग) "परिशुद्धता" से प्रति हज़ार भाग में व्यक्त बहुमूल्य धातु अंश की मात्रा और कुल मात्रा के बीच के अनुपात अभिप्रेत है ।

(घ) "नियम " से भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2017 अभिप्रेत है।

(ङ) "अनुसूची" से इन विनियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे, जो उनका अधिनियम में है।

अध्याय 1

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का दिया जाना, प्रचालन, नवीकरण और रद्दकरण

3. **रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र के लिए आवेदन: -** (1) एक आभूषण विक्रेता अधिनियम के धारा 14 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की बिक्री के लिए रजिस्ट्रीकरण **प्रमाण- पत्र** की मंजूरी के लिए आवेदन करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन, इन विनियमों से संलग्न, प्ररूप 1 में, अनुसूची- I में विनिर्दिष्ट फीस के साथ ब्यूरो को किया जाएगा।

(3) आवेदन प्ररूप, आवेदक या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(4) आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न होगी, अर्थात—

(क) फर्म या कंपनी की स्थापना का प्रमाण;

(ख) परिसर के पते का प्रमाण;

(ग) हस्ताक्षरकर्ता की पहचान का प्रमाण;

(घ) निकटतम भूमि चिह्न से परिसर का स्थान दर्शाने वाला मानचित्र; और

(ड.) वार्षिक आवर्त के संबंध में प्रमाण।

(5) यदि आवेदन अपेक्षित फीस के साथ नहीं किया जाता है तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(6) आवेदन प्राप्ति पर स्वीकार किया जाएगा।

(7) यदि उप-विनियम (4) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेज क्रम में नहीं हैं, तो ब्यूरो आवश्यक दस्तावेज या कोई अनुपूरक जानकारी मांग सकता है, जैसा भी मामला हो, यदि स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक हो।

(8) यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ स्पष्टीकरण क्रम में पाया जाता है, तो आवेदन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आगे की प्रक्रिया की जाएगी।

(9) यदि दस्तावेज क्रम में नहीं पाये जाते हैं, उप-विनियम (2) के अंतर्गत आवेदन को ब्यूरो द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा।

(10) आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना जवाब प्रस्तुत कर सकता है और नोटिस प्राप्त होने की तारीख से लेकर चौदह दिनों के भीतर स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकता है।

(11) अस्वीकृति के आधार के साथ ब्यूरो का निर्णय आवेदक को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

(12) उप-विनियम (9) के अधीन आवेदन की अस्वीकृति के मामले में आवेदन फीस वापस नहीं होगी।

4. **रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करना -** (1) ब्यूरो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है—

(क) यदि आवेदन क्रम में पाया जाता है; और

(ख) अनुसूची- I में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान पर

(2) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र इन विनियमों के साथ संलग्न प्ररूप -2 में प्रदान किया जाएगा और पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का ब्यौरा ब्यूरो की वेबसाइट पर होस्ट किया जाएगा ।

(4) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में बताए गए परिसर के लिए वैध होगा।

(5) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र विनियम 5 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार होगा।

5. **रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नियम व शर्तें -** (1) रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता उसके द्वारा बेची गई हॉलमार्क युक्त बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की शुद्धता और परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता किसी अन्य आभूषण विक्रेता के पहचान चिन्ह के साथ मुहरांकित हॉलमार्क-युक्त बहुमूल्य धातु की वस्तुओं को बेच सकता है, बशर्ते कि खरीद या अन्य रूप में प्राधिकार का प्रमाण उसके पास उपलब्ध हो।

(3) रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता, जो वस्तु को हॉलमार्क करवा रहा है, ऐसी वस्तु की शुद्धता और परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता, जो बिक्री करता है, नियमों के अनुसार शुद्धता या परिशुद्धता में किसी भी प्रकार की कमी होने पर मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता फर्म के परिसर और प्रबंधन में किसी भी बदलाव की सूचना ब्यूरो को देगा।

IndiaCode

(6) रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता को ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र से संबद्ध भारतीय मानक के अनुसार बहुमूल्य धातु वस्तुओं पर हॉलमार्क लगवाना होगा।

(7) रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता प्रत्येक परेषण के लिए लिखित में, हॉलमार्किंग के अनुरोध के साथ असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र में कीमती धातु की वस्तुएं जमा करवाएगा और प्रत्येक अनुरोध की एक प्रति अपने पास रखेगा।

(8) असेयिंग और हॉलमार्किंग के लिए बहुमूल्य धातु की वस्तुओं को जमा करते समय, रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता अपना नाम और पता, रजिस्ट्रीकरण संख्या का प्रमाण पत्र, पहचान चिह्न, वस्तु का प्रकार, वस्तुओं की संख्या, प्रत्येक वस्तु या वस्तुओं के समूह की घोषित शुद्धता और प्रत्येक अनुरोध में परेषण का पूरा वजन लिखेगा, जिसे आभूषण विक्रेता के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(9) रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता अपने प्रतिनिधियों के नाम और हस्ताक्षर घोषित करेगा जो असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र को हॉलमार्किंग के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत होगा।

(10) रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता अनुसूची – IV में यथाविनिर्दिष्ट असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र को हॉलमार्किंग फीस का भुगतान करेगा।

(11) हॉलमार्क युक्त बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की बिक्री के बिल या बीजक में प्रत्येक वस्तु का विवरण, बहुमूल्य धातु का शुद्ध भार, केरेट और परिशुद्धता में शुद्धता और हॉलमार्किंग प्रभारों का अलग-अलग विवरण दिया जायेगा।

(12) मानक के किसी भी संशोधन या पुनरीक्षण के मामले में, ब्यूरो उसके कार्यान्वयन से तीस दिन पहले रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता को नोटिस देगा।

(13) रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता हॉलमार्किंग के लिए किये गए अनुरोध, असेयिंग एवं हॉलमार्किंग केंद्र द्वारा जारी किये गये बीजक या बिल, हॉलमार्क युक्त वस्तुओं की बिक्री के बीजक या बिल और आभूषण विक्रेता से ख़रीदी गई हॉलमार्क युक्त वस्तुओं के बीजक या बिल की प्रतियों का रिकॉर्ड पांच वर्ष की अवधि या हॉलमार्क युक्त वस्तुओं के बेचे जाने तक, जो भी अधिक हो, रखेगा।

(14) रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता, ब्यूरो के प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ अपने आऊट-लेट के निरीक्षण, निगरानी के दौरान या शिकायत की जांच के दौरान के सम्बद्ध रिकॉर्ड या नमूने लेने के लिए सहयोग करेगा।

(15) रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता बिक्री केंद्र में ब्यूरो द्वारा हॉलमार्क-युक्त वस्तुओं की बिक्री के लिए जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण के मूल प्रमाण-पत्र और ब्यूरो द्वारा निर्धारित अन्य प्रदर्शन अपेक्षाओं को प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा।

(16) ब्यूरो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता के दौरान रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता को तीस दिन का नोटिस देकर, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र के किसी भी नियम और शर्त में बदलाव कर सकता है।

(17) नियमों और शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण'-पत्र रद्द किया जा सकता है।

6. **रजिस्ट्रीकरण** प्रमाण-पत्र **का नवीकरण** - (1) रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र की वैधता की समाप्ति के तीस दिन पूर्व अनुसूची- I में विनिर्दिष्ट फीस के साथ, इन विनियमों से जुड़े प्ररूप-III में नवीकरण आवेदन ब्यूरो को देगा।

(2) वैधता की समाप्ति से पहले नवीकरण आवेदन प्राप्त होने पर, —

(क) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र पांच साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है; या

(ख) यदि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र रद्द किए जाने या गैर-नवीकरण के लिए विचारणीय है तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण पर निर्णय तीन महीने तक आस्थगित रखा जा सकता है, और आस्थगित करने के निर्णय की सूचना रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता को दी जाएगी। साथ ही उसे हॉलमार्क-युक्त कीमती धातु/वस्तुओं की बिक्री रोकने और कीमती धातु/वस्तुओं को हॉलमार्क न करवाने के निर्देश दिए जायेंगे।

7. **रजिस्ट्रीकरण या गैर नवीकरण** प्रमाण-पत्र को **रद्द करना** - (1) ब्यूरो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द कर सकेगा या नवीकरण नहीं कर सकेगा यदि, —

(क) आभूषण विक्रेता द्वारा घोषित किसी भी घोषणा को झूठ या गलत पाया जाता है;

(ख) रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता ने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन किया है;

(ग) रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता ने वस्तु की दावा की गई या उस पर अंकित शुद्धता या परिशुद्धता से कम शुद्धता वाली वस्तु को बेचा है या बेचने का प्रस्ताव किया है;

(घ) रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता, निगरानी दौरे या शिकायत की जाँच के दौरान ब्यूरो के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में सहयोग देने में विफल रहा हो।

(ड.) रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता को हॉलमार्क के दुरुपयोग के किसी भी अनुचित व्यवहार में लिप्त पाया जाए।

(2) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को रद्द करने या उसके गैर-नवीकरण से पहले, ब्यूरो रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता को रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को रद्द करने या इसके नवीकरण न करने के आशय के कारणों का हवाला देकर नोटिस देगा।

(3) यदि उप-विनियम (1) के खंड (ड.) में दिए गए कारणों से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द करने या गैर-नवीकरण के लिए नोटिस जारी किया जाता है, तो रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता को हॉलमार्क वाले कीमती धातु की वस्तुओं की बिक्री रोकने और बहुमूल्य धातु की वस्तुओं पर हॉलमार्क न लगवाने के निर्देश दिए जायेंगे।

(4) उप-विनियम (2) के अंतर्गत नोटिस प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता नोटिस प्राप्त होने की तारीख से चौदह दिनों के भीतर ब्यूरो को स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है।

(5) जब स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए तो ब्यूरो उस स्पष्टीकरण पर विचार कर सकता है और रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की व्यक्तिगत सुनवाई कर सकता है, जैसा भी मामला हो।

(6) अपराध के शमन के मामले में, प्रमाण-पत्र को रद्द करने के लिए प्रक्रिया नहीं की जाएगी।

(7) यदि कोई विवरण नहीं दिया गया है, तो ब्यूरो नोटिस की अवधि की समाप्ति पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर सकता है।

(8) जहां रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया गया है या नवीनीकृत नहीं किया गया है, वहां आभूषण विक्रेता हॉलमार्क युक्त कीमती धातु की वस्तुओं की बिक्री को रोक देगा और अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत अपील के लंबित होने के बावजूद किसी भी असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र से बहुमूल्य धातु की वस्तुओं पर हॉलमार्क लगवाना बंद कर देगा।

(9) उप-विनियम (1) के खंड (ड.) में दिए गए कारणों से रद्दकरण या गैर-नवीकरण के मामलों में, ब्यूरो ऐसे आदेश पारित होने की तारीख से एक वर्ष की विराम अवधि से पहले रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।

(10) रद्द किये गए या नवीनीकृत न किये गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के विवरण ब्यूरो अपनी वेबसाइट पर डालेगा।

(11) अभ्यर्पण, रद्दकरण और गैर नवीकरण की स्थिति में आभूषण विक्रेता रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज के मूल प्रमाणपत्र को ब्यूरो को वापिस कर देगा और स्टॉक में उपलब्ध बहुमूल्य धातु की वस्तुओं से हॉलमार्क को मिटाना सुनिश्चित करेगा।

(12) रद्दकरण, गैर-नवीकरण या आभूषण विक्रेता द्वारा रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को अभ्यर्पण करने की स्थिति में आभूषण विक्रेता तुरंत सारी प्रचार सामग्री, जैसे कि पर्चा, पुस्तिका और पत्रशीर्ष को नष्ट कर देगा, जिसके माध्यम से आभूषण विक्रेता हॉलमार्क-युक्त कीमती धातु की वस्तुओं को बेचने के लिए रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता होने का दावा करता है।

(13) रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता, जिसे अधिनियम के प्रावधानों के अधीन दोषी ठहराया गया है, ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से एक वर्ष की विराम अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।

अध्याय II

असेयिंग और हॉलमार्किंग केन्द्र को मान्यता प्रदान करना, प्रचालन, नवीकरण, निलंबन और रद्दकरण

8. **मान्यता के लिए आवेदन**—(1) सुसंगत भारतीय मानक के अनुसार स्थापित किया गया कोई भी असेयिंग केंद्र, असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र के रूप में संचालित करने के लिए मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन कर सकेगा।

(2) ब्यूरो को आवेदन इन विनियमों से संलग्न प्ररूप –IV में अनुसूची –II में निर्दिष्ट फीस और निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ किया जाएगा अर्थात्:—

(क) फर्म या कंपनी की स्थापना का प्रमाण;

(ख) परिसर के पते का प्रमाण;

(ग) हस्ताक्षरकर्ता की पहचान का प्रमाण;

(घ) निकटतम लैंडमार्क से परिसर का स्थान दर्शाने वाला मानचित्र;

(ड.) गुणता पुस्तिका; तथा

(च) प्ररूप-V में शपथ पत्र और वचनबद्धता

(3) आवेदन आवेदक या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

(4) यदि आवेदन के साथ अपेक्षित फीस नहीं दी गई है तो आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(5) आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् उसकी स्वीकृति दी जाएगी और जाँच के बाद सही पाए जाने पर उसे रिकॉर्ड किया जाएगा।

(6) यदि उप-विनियम (2) के अधीन दिया गया दस्तावेज़ सही नहीं हैं, तो ब्यूरो आवश्यक दस्तावेज़ या कोई पूरक जानकारी मांग सकता है, जैसा भी मामला हो, यदि स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिए यह अपेक्षित हो।

(7) परीक्षण किए जाने पर , ब्यूरो किसी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, यदि,—

(क) आवेदन अधूरा या संबद्ध दस्तावेजों के बिना पाया जाता है;

(ख) आवेदन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पाया जाता है कि असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र हॉलमार्क का दुरुपयोग करने के लिए किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में शामिल है, जिसके लिए अधिनियम के अधीन मुकदमा चलाया जा सकता है;

(ग) बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की असेयिंग और हॉलमार्किंग करने के लिए संबंधित भारतीय मानक के अनुसार केंद्र में आवश्यक बुनियादी ढांचा और क्षमता नहीं है;

(घ) मान्यता रद्द होने या गैर-नवीकरण होने पर विनियम 13 के उप-विनियम (9) में बताए गए अनुसार विराम अवधि की समाप्ति से पहले आवेदन जमा किया गया है अथवा उप-विनियम (11) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दोष सिद्ध हो ।

(8) उप-विनियम (7) के अन्तर्गत किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, ब्यूरो आवेदक को उसमें कमियां उदधृत करते हुए नोटिस देगा।

(9) आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना जवाब प्रस्तुत कर सकता है और नोटिस प्राप्त होने की तारीख से लेकर चौदह दिनों के भीतर स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकता है।

(10) अस्वीकृति के आधार के साथ, ब्यूरो का निर्णय आवेदक को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

(11) एक आवेदक या अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष पाया गया व्यक्ति इस तरह की सजा की तारीख से एक वर्ष की विराम अवधि में आवेदन का पात्र नहीं होगा।

(12) उप-विनियम (7) के अन्तर्गत आवेदन की अस्वीकृति के मामले में आवेदन फीस वापस नहीं होगी।

9 . मान्यता की मंजूरी - (1) ब्यूरो मान्यता प्रदान करेगा—

(क) यह संतुष्टि हो जाने पर कि केंद्र में बहुमूल्य धातु के सामानों की असेयिंग और हॉलमार्किंग करने के लिए सुसंगत मानक के अनुसार आवश्यक बुनियादी ढांचा और क्षमता है; और

(ख) अनुसूची- II में विनिर्दिष्ट मान्यता फीस और मूल्यांकन फीस के भुगतान होने पर

(2) मान्यता का प्रमाण-पत्र इन विनियमों के साथ संलग्न प्ररूप -VI में जारी किया जाएगा, जिसमें मान्यता का कार्यक्षेत्र भी दिया जायेगा ।

(3) असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र मान्यता के दायरे में परिवर्तन के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

(4) उप-विनियम (3) के अंतर्गत, ब्यूरो अनुरोध की जांच कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है, जो कि कार्यक्षेत्र में परिवर्तन पर विचार करने के लिए आवश्यक है।

(5) इस विनियम के अंतर्गत दी गई मान्यता तीन साल की अवधि के लिए मान्य होगी।

(6) ब्यूरो द्वारा प्रमाणित असेयिंग और हॉलमार्किंग के ब्यौरे को वेबसाइट पर डाला जायेगा।

(7) असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र की मान्यता विनियम 10 में बताये गए नियमों और शर्तों के अनुसार होगी।

10 .मान्यता प्राप्त असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र का निबंधन और शर्तें—

(1) असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र अपने द्वारा हॉलमार्क की गई बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की शुद्धता और परिशुद्धता के निर्धारण के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) केंद्र के प्रबंधन, परिसर या नाम और पते में कोई परिवर्तन होने पर, असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र, ब्यूरो को सूचित करेगा।

(3) असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र, मशीनरी, उपकरण, असेयिंग कार्मिक प्रमाणित संदर्भ सामग्री की अनुपलब्धता अथवा किसी बड़े उपकरणों के टूटने की सूचना भी ब्यूरो को देगा, जो नमूना लेने की, असेयिंग और हॉलमार्किंग गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है।

(4) विनियम 5 के उप-विनियम (7) में बताये गए अनुसार असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र संबद्ध मानक के अनुसार केवल प्रमाणित आभूषण विक्रेता से ही हॉलमार्किंग के लिए आभूषण स्वीकार करेगा एवं आभूषण विक्रेता हॉलमार्किंग के लिए लिखित रूप में ब्यौरे सहित अनुरोध करेगा ।

(5) मानक के किसी भी संशोधन या पुनरीक्षण के मामले में, ब्यूरो इसके कार्यान्वयन से पहले असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र को एक महीने का नोटिस देगा।

(6) परीक्षण और मुहरांकन अंशशोधन उपस्करों और प्रमाणित संदर्भ सामग्री का उपयोग करके सुसंगत भारतीय मानक के अनुसार किया जाएगा।

(7) हॉलमार्क का डिज़ाइन और इसके साथ चिह्नित होने वाले ब्यौरे अनुसूची -III में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

(8) असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र ब्यूरो द्वारा बताए गए अनुसार रिकॉर्ड रखेगा जिसमें आभूषण विक्रेता से प्राप्त हॉलमार्किंग हेतु अनुरोध का रिकॉर्ड भी शामिल है।

IndiaCode

9) असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र आभूषणविक्रेताओं से अनुसूची- IV में निर्दिष्ट हॉलमार्किंग फीस लेगा और प्रत्येक माल के लिए आभूषणविक्रेता से प्राप्त हॉलमार्किंग के अनुरोध के अनुसार उन्हें बिल अथवा बीजक जारी करेगा।

(10) असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र अनुसूची – IV में बताए गए अनुसार ब्यूरो को हॉलमार्किंग फीस देगा।

(11) असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र मासिक और वार्षिक आधार पर हॉलमार्क की गई बहुमूल्य धातु की वस्तुओं के साथ-साथ अस्वीकृत की गई वस्तुओं का भी ब्यौरा, संख्या और वज़न में देगा।

(12) असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र ब्यूरो के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के साथ मूल्यांकन करने के लिए, केन्द्र के पास उपलब्ध बहुमूल्य धातु वस्तुओं के निरीक्षण एवं परीक्षण के लिए सुसंगत रिकॉर्डों के उत्पादन में सहयोग करेगा।

(13) ब्यूरो मान्यता की वैधता की अवधि के दौरान असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र को तीस दिनों का नोटिस देकर पहचान के वैध निंबंधनों और नियमों को संशोधित कर सकता है।

(14) निबंधन और शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर, मान्यता रद्द हो सकती है।

11. मान्यता का नवीकरण - (1) असेयिंग और हॉलमार्किंग केन्द्र इन विनियमों से संलग्न प्ररूप–VII में मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन जमा करें जिसके साथ अनुसूची II में निर्दिष्ट फीस हो और निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि हो, अर्थात्:—

(क) फर्म या कंपनी की स्थापना का प्रमाण;

(ख) परिसर के पते का प्रमाण;

(ग) हस्ताक्षरकर्ता की पहचान का प्रमाण;

(घ) निकटतम लैंडमार्क से परिसर का स्थान दर्शाने वाला मानचित्र;

(ड) गुणता पुस्तिका; तथा

(च) इन विनियमों से जुड़े प्ररूप-V में शपथ पत्र और वचनबद्धता

(2) नवीकरण के लिए आवेदन मान्यता की वैधता की समाप्ति की तारीख से नब्बे दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) उप-विनियम (1) के अंतर्गत नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, ब्यूरो, आवेदक के पिछले रिकॉर्ड पर विचार करके और इस बात का संतोष करके कि केंद्र के पास बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की असेयिंग और हॉलमार्किंग के लिए सुसंगत मानक के अनुसार आवश्यक बुनियादी ढांचा और क्षमता है, उसे तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत कर सकता है ।

(4) यदि असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र वैधता की समाप्ति से पहले अपेक्षित फीस के साथ नवीकरण के लिए आवेदन नहीं करता है, तो उसे मान्यता की वैधता खत्म हो जाने के बाद हॉलमार्क के प्रयोग करने का अधिकार नहीं होगा और ऐसे मामले में ब्यूरो द्वारा वैधता की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के लिए मान्यता का नवीकरण आस्थगित किया जा सकता है ।

(5) यदि, मान्यता के स्थगन की अवधि के दौरान, अनुसूची- II में निर्दिष्ट पांच हजार रुपए के विलम्ब फीस और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जाता है, तो ब्यूरो द्वारा मान्यता को नवीकृत किया जा सकता है।

परंतु, ब्यूरो द्वारा मान्यता का नवीकरण किये जाने तक असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र को हॉलमार्क के प्रयोग का अधिकार नहीं होगा।

(6) यदि नवीकरण आवेदन निर्धारित फीस और दस्तावेजों के साथ स्थगन की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो मान्यता समाप्त हो जाएगी।

(7) यदि मान्यता निलंबन के अधीन है या उस पर निलंबन, रद्दकरण या गैर-नवीकरण के लिए विचार किया जा रहा है तो मान्यता के नवीकरण के निर्णय को वैधता की तिथि से 6 महीने तक आस्थगित किया जा सकता है ।

(8) केन्द्र को आस्थगित करने के निर्णय की सूचना लिखित रूप में बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की हॉलमार्किंग रोकने के निर्देशों के साथ दी जाएगी।

12. मान्यता का निलंबन— (1) यदि, किसी भी समय बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की असेयिंग और हॉलमार्किंग करने में कठिनाई हो रही हो या परीक्षण उपस्कर खराब हो जाएं या प्राकृतिक आपदाओं अथवा प्रबंधन द्वारा तालाबंदी घोषित कर दी जाए या सक्षम न्यायालय या वैधानिक प्राधिकारी का निर्देश हों, तो असेयिंग एवं हॉलमार्किंग केन्द्र इस विषय में शीघ्र ही ब्यूरो को सूचित करेगा।

(2) उन कारणों के समाप्त होते ही प्रचालन के रद्दकरण को वापिस लिए जाने की सूचना ब्यूरो को तुरंत भेजी जाएगी, जिनके कारण प्रचालन रद्द किया गया था।

(3) यदि, किसी भी समय, ब्यूरो के पास पर्याप्त साक्ष्य हों कि असेयिंग और हॉलमार्किंग भारतीय मानक के अनुरूप नहीं हो रही हैं, तो असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र को अपने प्रचालन को निलंबित करने के निर्देश दिए जाएं और ऐसे साक्ष्य निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं, लेकिन निम्नलिखित में से एक या अधिक हों सकते हैं, अर्थात्:—

(i) इन-हाउस या स्वतंत्र परीक्षण के बाद हॉलमार्क की गई कीमती धातु वस्तुओं की गैर-अनुरूपता;

(ii) सुसंगत मानक के प्रावधानों को कार्यान्वयित न करना;

(iii) परीक्षण कर्मियों की अनुपलब्धता और वैकल्पिक व्यवस्था का न होना;

(iv) असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र का स्थानांतरण;

(v) तीन महीने से अधिक समय तक असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र को बंद रखना;

(vi) मान्यता के दायरे में शामिल न किए जाने वाली बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की असेयिंग और हॉलमार्किंग;

(vii) प्रमाणित आभूषण विक्रेताओं से एकत्र हॉलमार्किंग फीस के बारे में मासिक अथवा वार्षिक ब्यौरा न देना;

(viii) निर्धारित अवधि के दौरान ब्यूरो को मुहरांकन फीस का भुगतान न करना ।

(4) ऐसे हॉलमार्किंग एवं असेयिंग केन्द्र, जिनकी मान्यता है, ब्यूरो को इसके आदेश के अनुपालन के बारे में सूचित करेंगे।

(5) सुधारात्मक कार्वयाही की प्राप्ति पर, यदि आवश्यक हो, तो सुधारात्मक कार्यवाही की प्रभावशीलता को सत्यापित करने के लिए एक विशेष मूल्यांकन किया जा सकता है।

(6) ब्यूरो स्वयं को इस बात के लिए संतुष्ट करने के बाद निलंबन को रद्द कर देगा कि असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र में -

(क) आवश्यक कार्रवाई की है;

(ख) अनुसूची -II में विनिर्दिष्ट मूल्यांकन फीस जमा कर दी गई है; और

(ग) कीमती धातु की वस्तुओं की असेयिंग और हॉलमार्किंग करने के लिए सुसंगत मानक के अनुसार केंद्र की क्षमता स्थापित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रदान कर दिए हैं।

13. **मान्यता का रद्द करना या गैर- नवीनीकरण.** — (1) ब्यूरो निम्नलिखित किसी भी कारण से किसी असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र की मान्यता को रद्द कर सकता है या नवीकरण के लिए मना कर सकता है, अर्थात्: —

(क) असंयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र द्वारा की गई किसी भी घोषणा को झूठ या गलत पाए जाने पर;

(ख) असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र द्वारा मान्यता के किसी भी निंबधन और शर्तों का उल्लंघन करने पर;

(ग) हॉलमार्क की गई वस्तुएं सुसंगत भारतीय मानक के अनुरूप न होने पर;

(घ) शिकायत की जांच के लिए ब्यूरो के प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ दौरे के दौरान असेयिंग एवं हॉलमार्किंग केंद्र द्वारा सहयोग करने में विफल रहने पर;

(ड.) असेयिंग और हॉलमार्किंग केन्द्र किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है जैसे गैर-प्रमाणित ज्वैलरों के लिए बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की हॉलमार्किंग करना, वस्तुओं को अधूरे हॉलमार्क के साथ चिह्नित करना या परीक्षण किये बिना वस्तुओं को हॉलमार्क करना या हॉलमार्क वाली कीमती धातु की वस्तुओं में प्रति हजार पर चालीस से अधिक भागों में शुद्धता कम पाए जाने पर;

(च) असेयिंग और हॉलमार्किंग केन्द्र को निलंबन की अवधि के दौरान बहुमूल्य धातु की वस्तुओं पर हॉलमार्क मुहर लगाते हुए पाए जाने पर;

(छ) एक वर्ष की अवधि के लिए असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र निलंबित हो;

(ज) असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र ने निर्धारित समय के भीतर सुधारात्मक कार्यवाही न की हो या सुधारात्मक कार्रवाई करने के बावजूद समान विसंगतियां फिर से होने पर;

(2) मान्यता को रद्द करने या गैर नवीकरण से पहले, ब्यूरो को कारण देते हुए मान्यता रद्द करने या मान्यता का नवीकरण न करने के इरादे का असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र को नोटिस देना होगा।

(3) यदि उप-विनियम (1) के खंड (घ), (ड.) या (च) में दिए गए कारणों में रद्द करने के लिए नोटिस जारी किया जाता है तो केंद्र को बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की हॉलमार्किंग को रोकने के लिए निर्देश दिया जाएगा।

(4) उप-विनियम (2) के अंतर्गत नोटिस प्राप्त होने पर, असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र नोटिस प्राप्त होने की तारीख से चौदह दिनों के भीतर ब्यूरो को स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है।

(5) ब्यूरो, स्पष्टीकरण पर विचार करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो असेयिंग और हॉलमार्किंग केन्द्र या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की व्यक्तिगत सुनवाई करेगा और यदि असेयिंग और हॉलमार्किंग केन्द्र ने समझौते के लिए अनुरोध किया हो तो ब्यूरो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस अनुरोध पर विचार कर सकेगा।

(6) अपराध के शमन के मामले में, मान्यता को रद्द करने के लिए कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(7) यदि कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तो ब्यूरो नोटिस की अवधि की समाप्ति पर मान्यता रद्द कर सकेगा।

(8) यदि मान्यता को रद्द कर दिया गया है या नवीनीकृत नहीं किया गया है, असेयिंग और हॉलमार्किंग केन्द्र तुरंत बहुमूल्य धातु की वस्तुओं पर हॉलमार्क लगाना बंद कर देगा।

IndiaCode

(9) उप-विनियम (1) के खंड (ड.) या (च) में दिए गए कारणों से रद्दकरण या गैर-नवीकरण के मामलों में, ब्यूरो ऐसे आदेश पारित होने की तारीख से एक वर्ष की उपशमन अवधि से पहले मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।

(10) मान्यता के निलंबन, रद्दकरण, गैर नवीकरण या समाप्त होने पर ब्यूरो इस प्रकार की मान्यता के निलंबन, रद्दकरण, गैर नवीकरण या समाप्त होने के विवरण अपनी वेबसाइट पर डालेगा।

(11) अभ्यर्पण, गैर नवीकरण और रद्दकरण की स्थिति में असेयिंग एवं हॉलमार्किंग केन्द्र मूल मान्यता दस्तावेज ब्यूरो को वापिस करेगा ।

(12) रद्दकरण, गैर-नवीकरण या असेयिंग और हॉलमार्किंग केन्द्र द्वारा मान्यता को छोड़ देने की स्थिति में केन्द्र तुरंत सारी प्रचार सामग्री, जैसे कि पर्चा, पुस्तिका और पत्रशीर्ष को नष्ट कर देगा जिसके माध्यम से असेयिंग और हॉलमार्किंग केन्द्र ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त केन्द्र होने का दावा करता है।

अध्याय- III

रिफाइनरी या टकसाल के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना, उसका प्रचालन, नवीकरण और रद्दकरण

14. हॉलमार्क का उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन - (1) कोई ऐसा निर्माता, जो, यथास्थिति, एक्वारेजीया या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस या मिंटिंग द्वारा बहुमूल्य धातुओं के परिशोधन कार्य में लगा हुआ है, इन विनियमों के अधीन अनुज्ञप्ति लेने के लिए आवेदन करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अन्तर्गत आवेदन, अनुसूची- V में निर्दिष्ट फीस के साथ इन विनियमों के साथ संलग्न प्ररूप-VIII में किया जाएगा।

(3) आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि लगी होगी, अर्थात्: —

(क) फर्म या कंपनी की स्थापना का प्रमाण;

(ख) परिसर के पते का प्रमाण;

(ग) हस्ताक्षरकर्ता की पहचान का प्रमाण;

(घ) निकटतम भूमि चिह्न से परिसर का स्थान दर्शाने वाला मानचित्र;

(ड.) सूक्ष्म या लघु स्तर के उद्योग का प्रमाणपत्र, यदि लागू हो;

(च) परिष्करण या मिन्टिंग का प्रक्रिया प्रवाह चार्ट, जैसा लागू हो

(छ) बुलियन या सिक्के का डिजाइन और वज़न, जैसा लागू हो

(ज) इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप IX में विनिर्माण मशीनरी की सूची;

(झ) इन नियमों के लिए संलग्न प्ररूप-X में मान्य कैलिब्रेशन वाले परीक्षण उपकरण की सूची;

(ञ) परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) या लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा रिफाइनरी या टकसाल की प्रयोगशाला की मान्यता;

(ट) प्लांट लेआउट;

(ठ) तकनीकी कर्मियों की सूची;

(ड) प्रमाणित संदर्भ सामग्री की सूची; तथा

(ढ) इन-हाउस परीक्षण की जांच रिपोर्ट।

(4) आवेदन को आवेदक या संबंधित प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(5) यदि आवेदन के साथ अपेक्षित फीस नहीं है तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(6) आवेदन प्राप्त होने के बाद उसकी स्वीकृति दी जाएगी और जाँच के बाद सही पाए जाने पर उसे रिकॉर्ड किया जाएगा।

(7) ब्यूरो आवेदक के किसी भी वक्तव्य के समर्थन में या उसे पुख्ता करने के लिए कोई पूरक जानकारी या दस्तावेज़ी साक्ष्य मांग सकता है।

(8) ब्यूरो किसी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, यदि,—

(क) आवेदन अधूरा हो या निर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना पाया जाता है या निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

(ख) आवेदन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यह पाया जाता है कि आवेदक हॉलमार्क का दुरुपयोग करने के लिए किसी प्रकार के भ्रष्टाचार, जिसके लिए अधिनियम के अन्तर्गत मुकद्दमा चलाया जा सकता है, में शामिल है।

(ग) आवेदक के पास परीक्षण और निरीक्षण की योजना के प्रावधानों के अनुपालन के लिए और सुसंगत भारतीय मानक के अनुसार आवश्यक बुनियादी ढांचा और क्षमता नहीं है;

IndiaCode

(घ) परिष्कृत कीमती धातु सुसंगत मानक के अनुरूप नहीं है;

(ड.) मान्यता रद्द होने या अनुज्ञप्ति के गैर-नवीकरण होने पर विनियम 19 के उप-विनियम (9) में बताए गए अनुसार रोक अवधि की समाप्ति से पहले आवेदन जमा किया गया है अथवा उपविनियम (12) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दोष सिद्ध हो ।

(9) किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, ब्यूरो आवेदक को उसमें कमियों को उद्धृत कर नोटिस देगा।

(10) आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना जवाब दे सकता है और नोटिस प्राप्त होने की तारीख से लेकर चौदह दिनों के भीतर स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत किसी प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकता है।

(11) अस्वीकृति के आधार के साथ ब्यूरो का निर्णय आवेदक को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

(12) कोई आवेदक या अधिनियम के उपबंधों के अधीन सिद्धदोष पाया गया व्यक्ति इस तरह की सजा की तारीख से एक वर्ष की विराम अवधि में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(13) उप-विनियम (8) के अन्तर्गत आवेदन की अस्वीकृति के मामले में आवेदन फीस वापस नहीं होगी।

15. अनुज्ञप्ति की मंजूरी - (1) ब्यूरो अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा—

(क) यह संतुष्टि हो जाने पर कि आवेदक के पास सुसंगत मानक के अनुसार परिष्कृत बहुमूल्य धातुओं के निर्माण और परीक्षण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और क्षमता होने पर ;

(ख) रिफाइंड परिष्करण बहुमूल्य धातु सुसंगत भारतीय मानक के अनुरूप होने पर ;

(ग) अनुसूची -V में विनिर्दिष्ट महुरांकन फीस के भुगतान पर।

(2) उप-विनियम (1) के अन्तर्गत सत्यापन के प्रयोजन के लिए आवेदक को कार्यालय, निर्माण, परीक्षण, भण्डार से संबंधित परिसर का निरीक्षण करने के लिए तथा नमूने लेने और परीक्षण में ब्यूरो के अधिकृत प्रस्तावित प्रतिनिधि के साथ सहयोग करना होगा।

(3) अनुज्ञप्ति इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप-XI में प्रदान किया जाएगा।

(4) अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची- V के अनुसार फीस के साथ अनुज्ञप्ति के विषय-क्षेत्र में परिवर्तन के लिए अनुरोध कर सकता है।

(5) विषय-क्षेत्र में परिवर्तन पर विचार करने के लिए ब्यूरो अनुरोध पर विचार कर सकता है एवं जांच कर सकता है, और संशोधित विषय-क्षेत्र इन नियमों के लिए प्ररूप-XII में जारी किया जाएगा।

(6) इस विनियम के अन्तर्गत जारी किया गया अनुज्ञप्ति एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।

(7) जारी किए गए सभी अनुज्ञप्तियों का ब्यौरा ब्यूरो द्वारा अपनी वेबसाइट पर डाला जाएगा।

(8) अनुज्ञप्ति विनियम 16 में दिए गए निबंधन और शर्तों के अधीन होगा ।

16. अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें. — (1) अनुज्ञप्तिधारी, उसके द्वारा निर्मित हॉलमार्क की गई परिष्कृत बहुमूल्य धातुओं की परिशुद्धता के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) फर्म के प्रबंधन, परिसर या नाम और पते में कोई परिवर्तन होने पर, अनुज्ञप्तिधारी ब्यूरो को सूचित करेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी मशीनरी, उपकरण, असेयिंग कार्मिक ,प्रमाणित संदर्भ सामग्री की अनुपलब्धता अथवा किसी भी बड़े उपस्करों के टूटने की सूचना ब्यूरो को देगा, जो नमूनाकरण, असेयिंग और हॉलमार्किंग गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है।

(4) अनुज्ञप्तिधारी परिष्कृत बहुमूल्य धातुओं का परीक्षण ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट एवं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत परीक्षण और निरीक्षण की योजना के अनुसार करेगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी उसी परिष्कृत बहुमूल्य धातु को हॉलमार्क लगाएगा जो सुसंगत मानक के अनुरूप है।

(6) हॉलमार्क का डिज़ाइन और इसके साथ चिह्नित होने वाले ब्यौरे अनुसूची -III में बताए गए अनुसार होंगे।

(7) मानक या परीक्षण और निरीक्षण की योजना के किसी भी संशोधन या पुनरीक्षण के मामले में, ब्यूरो इसके कार्यान्वयन से पहले अनुज्ञप्तिधारी को एक महीने का नोटिस देगा।

(8) अनुज्ञप्तिधारी ब्यूरो द्वारा समय-समय पर बताए गए अनुसार रिकॉर्ड रखेगा।

(9) अनुज्ञप्तिधारी बनाए गए, चिह्नित किए गए, बेचे गए एवं स्टॉक में उपलब्ध मात्रा के बारे में जानकारी देने के साथ प्रेषितियों का विवरण भी ब्यूरो को उपलब्ध कराएगा।

(10) अनुज्ञप्तिधारी ब्यूरो के प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुसंगत रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने और नमूने लेने में सहयोग करेगा ।

(11) अनुज्ञप्तिधारी नियमों के अनुसार परिशुद्धता में किसी भी कमी के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा।

(12) ब्यूरो अनुज्ञप्ति की वैधता की अवधि के भीतर तीस दिनों का नोटिस देकर किसी भी निबंधन और शर्त को बदल सकता है ।

(13) उपर्युक्त निबंधन और शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुज्ञप्ति रद्द हो सकता है।

17. अनुज्ञप्ति का नवीकरण— (1) अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों से जुड़े प्ररूप- XIII में नवीकरण आवेदन ब्यूरो को अनुसूची- V में विनिर्दिष्ट फीस के साथ, देगा। (2) नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञप्ति की वैधता की समाप्ति की तारीख से साठ दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) अनुज्ञप्तिधारी से आवेदन प्राप्त होने पर ब्यूरो, अनुज्ञप्ति को इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप-XIV में अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत कर सकता है ।

(4) अनुज्ञप्ति का नवीकरण तभी किया जाएगा जब ब्यूरो को इस बात की संतुष्टि हो जाए कि अनुज्ञप्तिधारी के पास सुसंगत मानक के अनुसार परिष्कृत बहुमूल्य धातुओं का विनिर्माण करने और परीक्षण करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और क्षमता है।

(5) यदि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की वैधता की समाप्ति से पहले नवीकरण के लिए आवेदन नहीं करता है, या अपेक्षित फीस जमा नहीं करवाता या अपेक्षित विवरण उपलब्ध नहीं करता तो उसे अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्त हो जाने के बाद हॉलमार्क के प्रयोग करने का अधिकार नहीं होगा और ऐसे मामले में ब्यूरो द्वारा वैधता की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण आस्थगित किया जा सकता है ।

(6) यदि, अनुज्ञप्ति के स्थगन की अवधि के दौरान, अनुसूची- V में विनिर्दिष्ट पांच हजार रुपए के विलम्ब फीस और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जाता है, तो ब्यूरो द्वारा अनुज्ञप्ति को नवीकृत किया जा सकता है।

बशर्ते कि ब्यूरो द्वारा अनुज्ञप्ति का नवीकरण किये जाने तक अनुज्ञप्तिधारी को हॉलमार्क के प्रयोग का अधिकार नहीं होगा।

(7) यदि नवीकरण आवेदन निर्धारित फीस और दस्तावेजों के साथ स्थगन की अवधि के अंदर प्राप्त नहीं होता है, तो अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाएगी।

(8) यदि अनुज्ञप्ति निलंबन के अधीन है या निलंबन, रद्दकरण या गैर नवीकरण के लिए विचाराधीन है तो अनुज्ञप्ति के नवीकरण के निर्णय को 6 महीने तक आस्थगित किया जा सकता है ।

(9) स्थगित करने के निर्णय की सूचना अनुज्ञप्तिधारी को लिखित रूप में मुहरांकन रोकने एवं हॉलमार्क युक्त परिष्कृत बहुमूल्य धातु की बिक्री रोकने के निर्देशों के साथ दी जाएगी।

(10) अनुज्ञप्तिधारी ब्यूरो के आदेश के अनुपालन के बारे में ब्यूरो को इसकी पुष्टि करेगा।

18. मान्यता का निलंबन— (1) यदि, किसी भी समय परिष्कृत बहुमूल्य धातु की अनुरूपता मानक के साथ बनाए रखने में कठिनाई हो रही हो या परीक्षण उपस्कर खराब हो जाएं या प्राकृतिक आपदाओं अथवा प्रबंधन द्वारा तालाबंदी घोषित हो जाए या सक्षम न्यायालय या वैधानिक प्राधिकारी द्वारा प्रचालन को बंद करने के निर्देश हों तो अनुज्ञप्तिधारी ब्यूरो को सूचित करके परिष्कृत बहुमूल्य धातु का मुहरांकन रोक देगा ।

(2) जैसे ही दोष हटा दिए जाएं, मुहरांकन को पुन: चालू किया जा सकता है और इस मुहरांकन को पुन: चालू करने की जानकारी तुरंत ब्यूरो को भेज दी जाएगी ।

(3) यदि, किसी भी समय, पर्याप्त प्रमाण हों कि हॉलमार्क युक्त परिष्कृत बहुमूल्य धातु सुसंगत भारतीय मानक के अनुरूप नहीं है तो ब्यूरो अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकता है और परिष्कृत कीमती धातु पर हॉलमार्क लगाने पर रोक लगा सकता है और हॉलमार्क की गई परिष्कृत बहुमूल्य धातु की बिक्री को रोकने के निर्देश दे सकता है और ऐसे प्रमाण निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं, लेकिन निम्नलिखित में से एक या अधिक हों सकते हैं, अर्थात्: —

(i) इन-हाउस या स्वतंत्र परीक्षण के बाद परिष्कृत बहुमूल्य धातु की गैर-अनुरूपता

(ii) परीक्षण और निरीक्षण की योजना के प्रावधानों का कार्यान्वयन नहीं किया जाना;

(iii) परीक्षण कर्मियों की अनुपलब्धता और वैकल्पिक व्यवस्था का न होना;

(iv) ब्यूरो के पूर्व मूल्यांकन और अनुमोदन के बिना प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संशोधन

(v) विनिर्माण इकाई का स्थानांतरण;

(vi) तीन महीने से अधिक लम्बे समय तक विनिर्माण इकाई बंद रखना

(vii) गैर-अनुरूप परिष्कृत बहुमूल्य धातु पर मुहरांकन

(viii) अनुज्ञप्ति में शामिल न की गई विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य धातु की वस्तुओं पर मुहरांकन

(ix) ब्यूरो द्वारा जारी किसी भी निर्देश का अनुपालन न करना।

(4) ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिनकी अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया गया है, इसके आदेश के अनुपालन की पुष्टि ब्यूरो को करेंगे।

(5) अनुज्ञप्तिधारी की गई सुधारात्मक कार्यवाही के बारे में ब्यूरो को सूचित करेगा और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्यवाही को सत्यापित करने के लिए एक विशेष निरीक्षण किया जा सकता है।

IndiaCode

(6) स्वयं को इस बातों से संतुष्ट होने के बाद ब्यूरो निलंबन को रद्द कर देगा कि अनुज्ञप्तिधारी ने-

(क) आवश्यक कार्रवाई की है;

(ख) अनुसूचित –V में निर्दिष्ट निरीक्षण फीस जमा करवा दिया है; तथा

(ग) परिष्कृत बहुमूल्य धातुओं के विनिर्माण और परीक्षण के लिए सुसंगत मानक के अनुसार क्षमता स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण दे दिए हैं।

(घ) परिष्कृत बहुमूल्य धातु की सुसंगत मानक से अनुरूपता के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किया है।

19. अनुज्ञप्ति रद्द करना या गैर-नवीनीकरण - (1) ब्यूरो निम्नलिखित किसी भी कारण से किसी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकता है या नवीकरण के लिए मना कर सकता है, अर्थात्: -

(क) अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा की गई किसी भी घोषणा को झूठ या गलत पाए जाने पर;

(ख) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मान्यता की किसी भी निंबधन और शर्तों का उल्लंघन करने पर;

(ग) हॉलमार्क की गई बहुमूल्य वस्तुएं मानक के अनुरूप न होने पर;

(घ) शिकायत की जांच के लिए या ब्यूरो के प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ निरीक्षण के लिए दौरे के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सहयोग करने में विफल रहने पर;

(ड.) अनुज्ञप्तिधारी निलंबन की अवधि के दौरान हॉलमार्क का प्रयोग करते हुए पाया जाता है;

(च) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के अंतर्गत न आने वाली परिष्कृत बहुमूल्य किस्म की धातु पर हॉलमार्क चिह्नित करता हुआ पाया जाता है;

(छ) एक वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति निलंबित हो;

(ज) अनुज्ञप्तिधारी ने नियत समय के भीतर अपेक्षत सुधारात्मक कार्यवाही नही की है या सुधारात्मक कार्रवाई करने के बावजूद भी वैसी ही विसंगतियों की पुनरावृत्ति होती है;

(2) अनुज्ञप्ति को रद्द करने या नवीकृत न करने से पहले, ब्यूरो कारणों का उल्लेख करते हुए, अनुज्ञप्ति को रद्द करने या नवीकृत न करने के अपने आशय की सूचना अनुज्ञप्तिधारी को देगी।

(3) यदि सूचना उप-विनियम (1) के खंड (ड.) या (च) में दिए गए कारणों के कारणों से रद्दकरण या गैर-नवीकरण के लिए जारी की जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश दिया जाएगा कि वह हॉलमार्क वाली परिष्कृत बहुमूल्य धातु की चिह्नांकन करना बंद कर दे और हॉलमार्क की गई परिष्कृत बहुमूल्य धातु का विक्रय बंद कर दे।

(4) उप-विनियम (2) के अधीन सूचना के प्राप्त हो जाने पर अनुज्ञप्तिधारी सूचना की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के भीतर ब्यूरो को स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकेगा और अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 33 के उपबंधों के अनुसार शमन करने के लिए अपने मामले पर विचार करने हेतु और अनुरोध कर सकेगा।

(5) ब्यूरो प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण पर विचार करेगा और यदि अनुरोध किया जाए अनुज्ञप्तिधारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा; और ब्यूरो, शमन करने के लिए, अनुरोध पर, यदि अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया पर, विचार कर सकेगी।

(6) अपराध के शमन के मामले में, अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिए कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(7) यदि कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तो ब्यूरो नोटिस की अवधि की समाप्ति पर मान्यता रद्द कर सकता है।

(8) जब अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाती है या नवीकृत नहीं की जाती है तब अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 34 के अधीन किसी अपील के लंबित होते हुए भी हॉलमार्क वाले परिष्कृत बहुमूल्य धातु के चिह्नांकन और विक्रय को बंद करेगा।

(9) उप-विनियम (1) के खंड (ड.) या (च) में दिए गए कारणों से रद्दकरण या गैर-नवीकरण के मामलों में, ब्यूरो ऐसे आदेश पारित किए जाने की तारीख से एक वर्ष की विराम अवधि से पहले अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा।

(10) जब अनुज्ञप्ति निलंबनाधीन रखी जाती है या रद्द कर दी जाती है या नवीकृत नहीं की जाती या समाप्त हो जाती है तब ब्यूरो अपने वेबसाइट पर ऐसी अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां डालेगी।

(11) अनुज्ञप्तिधारी ब्यूरो को मूल अनुज्ञप्ति दस्तावेज को इसके अभ्यर्पण करने गैर-नवीकरण या रद्दकरण की दशा में वापस करेगा।

(12) रद्दकरण, गैर-नवीकरण या अनुज्ञप्ति को अभ्यर्पण करने का विकल्प लेने वाले अनुज्ञप्तिधारी की दशा में अनुज्ञप्तिधारी ऐसी प्रचार सामग्री जैसे पर्चा, पुस्तिका और पत्रशीर्ष, जिनके माध्यम से वह ब्यूरो का अनुज्ञप्तिधारी होने का दावा करता है, को तुरंत विनष्ट करेगा।

IndiaCode

अनुसूची I

[विनियम 3 का उप-विनियम (2) के प्रति निर्देश में]

[विनियम 4 के उप-विनियम (1) का खंड (ख) के प्रति निर्देश में]

[विनियम 6 का उप-विनियम (1) के प्रति निर्देश में]

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देने और नवीकरण के लिए फीस

1. प्रत्येक आवेदन के साथ रूपए 2000/- का आवेदन फीस देय है।
2. रजिस्ट्रीकरण फीस सारणी–1 में यथा निर्दिष्ट देय होगी ।

सारणी – 1

श्रेणी	कुल टर्नओवर (रूपए में)	पाँच वर्षों के लिए (रूपए में)
1	100 करोड़ से ऊपर	80,000/-
2	25 करोड़ से ऊपर और 100 करोड़ तक	40,000/-
3	5 करोड़ से ऊपर और 25 करोड़ तक	**15**,000/-
4	5 करोड़ से कम	**7**,**5**00/-

3. यदि किसी आभूषण विक्रेता के पास भारत में कहीं भी पांच या अधिक आउटलेट हैं, तो वह विभिन्न फुटकर आउटलेटों को कवर करने के लिए कॉर्पोरेट स्तर पर रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का चयन कर सकता है और प्रत्येक आउटलेट के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस में 10% की छूट ले सकता है।
4. कॉर्पोरेट स्तर पर रजिस्ट्रीकरण के मामले में प्रत्येक आउटलेट के लिए अलग-अलग आवेदन फीस देय होगा।
5. फुटकर आउटलेटों को शामिल करने या हटवाने के लिए किए गए प्रत्येक अनुरोध के लिए 2000/- रूपए का आवेदन फीस देय है।
6. कोई आभूषण विक्रेता बहुमूल्य धातु के लिए प्रमाण-पत्र धारक होने पर यदि किसी अन्य कीमती धातु के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहता है तो उसे केवल आवेदन फीस देना होगा।
7. यदि एक आउटलेट में एक से अधिक बहुमूल्य धातुओं के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र है, तो रजिस्ट्रीकरण फीस केवल एक धातु के लिए देय होगी।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रचलित दरों के अनुसार लागू कर देय होंगे।
9. यदि रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम में आवेदन फीस के साथ दिया जाता है और किसी भी कारण से आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो फीस लौटा दी जाएगी।

अनुसूची II

[विनियम 8 का उप-विनियम (2) के प्रति निर्देश में]

[विनियम 11 का उप-विनियम (1) के प्रति निर्देश में]

[विनियम 12 के उप-विनियम (6) की खंड (ख) के प्रति निर्देश में]

असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र की मान्यता की मंजूरी और नवीकरण के लिए फीस

क्रम सं	फीस	राशि (रूपए में)
1	आवेदन फीस	15,000/-
2	नवीकरण आवेदन फीस	5,000/-
3	आकलन फीस (प्रति श्रम दिवस)	5,000/-
4	मान्यता फीस/मान्यता नवीकरण फीस (तीन वर्ष के लिए)	60,000/-

टिप्पण :

(1) उपरोक्त के अतिरिक्त प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों का भुगतान करना होगा।

(2) निगरानी मूल्यांकन और शिकायत की जाँच को छोड़ कर आकलन फीस सभी आकलनों के लिए प्रति श्रम दिवस आधार पर लगाया जायेगा।

(3) निगरानी मूल्यांकन और शिकायत की जाँच के अतिरिक्त ऑडिटरों की यात्रा और रहने का खर्च केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा।

अनुसूची III

[विनियम 10 का उप-विनियम (7) के प्रति निर्देश में]

[विनियम 16 का उप-विनियम (6) के प्रति निर्देश में]

हॉलमार्क का डिज़ाइन

क्रम सं	हॉलमार्क का डिज़ाइन	कीमती धातु की वस्तुएं	भारतीय मानक
1	XX K XXX	स्वर्ण आभूषण और शिल्प वस्तुएं	आईएस 1417“ स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातुएं, आभूषण/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन”
2	XX K XXX	स्वर्ण बुलियन और सिक्के	आईएस 1417“ स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातुएं, आभूषण/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन ’’
3	चाँदी XXX	चाँदी के आभूषण और शिल्प वस्तुएं	आईएस 2112“ चांदी एवं चांदी मिश्रधातएं, आभूषण/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन ’’
4	चाँदी XXX	चाँदी के बुलियन और सिक्के	आईएस 2112“ चांदी एवं चांदी मिश्रधातएं, आभूषण/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन”

IndiaCode

टिप्पण:

(1) उपरोक्त डिज़ाइन में XX कैरेट में सोने की अनुपातिक मात्रा को दर्शाता है ।

(2) उपरोक्त डिज़ाइन में XXX प्रति हजार भाग पर सोने अथवा चाँदी, जैसा लागू हो, की अनुपातिक मात्रा को दर्शाता है।

(3) हॉलमार्क का मोनोग्राम और अनुपातिक मात्रा को रैखिक डिज़ाइन में मुहरांकित किया जाए।

(4) क्रम सं 1 और 3 के हॉलमार्क को लेज़र मुहरांकन द्वारा मुहरंकित किया जाए।

(5) क्रम सं 2 और 4 के हॉलमार्क को छिद्रण अथवा नक्काशी द्वारा मुहरंकित किया जाए।

अनुसूची IV

[विनियम 10 का उप-विनियम (10) के प्रति निर्देश में]

हॉलमार्किंग फीस

1.

(क) आभूषण विक्रेता द्वारा मान्यताप्राप्त असेयिंग एवं हॉलमार्किंग केंद्र को सोने की वस्तुओं के लिए दिया जाने वाला हॉलमार्किंग फीस -

(i) रूपये 35/- प्रति वस्तु; और

(ii) एक पारेषण के लिए न्यूनतम फीस रूपये 200/-

(ख) ब्यूरो द्वारा असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र से सोने की वस्तुओं के ली जाने वाली हॉलमार्किंग फीस –

(i) रूपये 3.50 प्रति वस्तु ; और

(iii) एक पारेषण के लिए न्यूनतम फीस रूपये 20/-

(क) आभूषण विक्रेता द्वारा मान्यताप्राप्त असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र को चांदी की वस्तुओं के लिए दिया जाने वाला हॉलमार्किंग फीस -

(i) रूपये 25/- प्रति वस्तु और

(ii) एक पारेषण के लिए न्यूनतम फीस रूपये 150/-

(ख) ब्यूरो द्वारा असेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र से चांदी की वस्तुओं के लिए ली जाने वाली हॉलमार्किंग फीस –

(i) रूपये 2.50 प्रति वस्तु; और

(ii) एक पारेषण के लिए न्यूनतम फीस रूपये 15/-

टिप्पण : उपरोक्त के अतिरिक्त लागू कर प्रचलित दरों के अनुसार होंगे ।

अनुसूची- V

[विनियम 14 का उप-नियम (2) के प्रति निर्देश में]

[विनियम 17 का उप-नियम (1) के प्रति निर्देश में]

[विनियम 15 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के प्रति निर्देश में]

[विनियम 18 के उप-नियम (6) के खण्ड (ख) के प्रति निर्देश में]

रिफाइनरी और टकसाल को अनुज्ञप्ति प्रदान करने और नवीकरण हेतु फीस

क्रम सं	फीस	राशि रूपयों में
1	आवेदन फीस	1000/-
2	अनुज्ञप्ति फीस	1000/-
3	नवीकरण आवेदन फीस	1000/-
4	निरीक्षण फीस (प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	7,000/-
5	मुहरांकन फीस (आईएस 1417 के अनुरूप परिष्कृत स्वर्ण हेतु)	बडी इकाइयों हेतु – 48,000 /- प्रति वर्ष (न्यूनतम) सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम हेतु-38,400 /- प्रति वर्ष (न्यूनतम) इकाई = 1 किलोग्राम इकाई दर: रू. 50 प्रति किग्रा.

टिप्पण :

1. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रचलित दरों के अनुसार लागू कर देय होंगे।

2. निरीक्षण फीस, सभी निरीक्षणों के लिए निगरानी फीस और शिकायत जॉंच पड़ताल को छोड़कर श्रम दिवस के आधार पर प्रभारित होगा।

3. यदि आवेदन पत्र स्वर्ण के अलावा अन्य उत्पाद के लिए पहली बार प्राप्त होता है, मुहरांकन फीस इस अनुसूची में संशोधन कर के अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट होगा।

4. इस अनुसूची में संशोधन करके अधिसूचना के माध्यम से समय समय पर ब्यूरो द्वारा मुद्रांकन फीस में संशोधन किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी संशोधन के बाद देय मुद्रांकन फीस का भुगतान करेगा।

5. प्रत्येक वर्ष वास्तविक मुद्रांकन फीस अथवा न्यूनतम मुद्रांकन फीस में से जो भी अधिक होगा, वही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय होगा।

टिप्पण- 1. प्रथम नवीकरण के लिए वास्तविक मुद्रांकन फीस की गणना प्रथम नौ महीनों के दौरान मुद्रांकित मात्रा (इकाइयों) की दर से गुणा की जाएगी।

टिप्पण- 2. अनुवर्ती नवीनीकरण के लिए वास्वविक मुद्रांकन फीस की गणना प्रथम नौ महीनों के बाद से वर्ष-दर-वर्ष की जाएगी।

6. नयी किस्म को शामिल करने के मामले में प्रति आवेदन के अनुसार पॉच हजार रूपये प्रभार्य होंगे।

IndiaCode

प्ररूप 1

[विनियम 3 का उप-नियम (2) के प्रति निर्देश में]

भारतीय मानक ब्यूरो

हॉलमार्क वस्तुओं की बिक्री के लिए आभूषण विक्रेताओं को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की स्वीकृति देने हेतु आवेदन पत्र

(जो लागू नहीं हो, उसे काट दें)

1. आभूषण विक्रेता (फर्म/कंपनी) का नाम :

2 (क) दुकान का नाम :

पिन कोड सहित, जिला और राज्य

दूरभाष : फैक्स:

(एसटीडी कोड सहित) (एसटीडी कोड सहित)

ई –मेल

(ख) लैंडमार्क सहित स्थान :

3 स्वामित्व का प्रकार : स्वत्वधारी/भागीदारी/ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/पब्लिक उपक्रम

4 प्रबंधन के विवरण (सभी भागीदारों/निदेशकों के नाम उल्लिखित किए जाएं)

नाम पदनाम

(स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक/सीईओ)

(i)

(ii)

(iii)

5 संपर्क व्यक्ति के विवरण

नाम: पदनाम: मोबाइल: ई-मेल:

6. जिसके लिए प्रमाणपत्र हेतु आवेदन किया जा रहा है – आईएस 1417 के अनुरूप स्वर्ण आभूषण/शिल्प वस्तुएँ और/या आईएस 2112 के अनुरूप चांदी के आभूषण/ शिल्प वस्तुएँ

7. (क) भारतीय मानक ब्यूरो का कोई अन्य प्रमाणपत्र लिया हो - हाँ/नहीं

(ख) यदि हाँ, विवरण दें : प्रमाणपत्र संख्या: आईएस सं. :

वैधता: उत्पाद:

8. वार्षिक आवर्तन करोड़ में (प्रमाण संलग्न करें) :

9. यदि आवेदन कॉर्पोरेट स्तर पर प्रमाण-पत्र के लिए है: हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो दुकान का विवरण नीचे दिये गये प्रारूप में दिया जाएं (आवश्यकतानुसार अलग से पन्ना संलग्न करें)

क्र.सं.	दुकान का स्थान (राज्य और शहर/कस्बा)	दुकान का पता	दुकान पर संपर्क व्यक्ति (नाम और पदनाम)	दुकान का संपर्क विवरण (दूरभाष सं., ई-मेल आइडी इत्यादि)

10. पूर्व में रद्दीकरण/अभियोग का विवरण, यदि कोई हो :

11. भुगतान के विवरण- मांग ड्राफ्ट/नेटबैंकिग/बैंक चालान

(कृपया ज्वैलर के लिए लागू फीस देखें)

IndiaCode

(धनराशि) (रूपयों में)	बैंक का नाम	मांगदेय ड्राफ्ट संख्या /यूटीआर सं./बैंक चालान सं.	तारीख

12. मैं/ हम हॉलमार्किंग प्रयोजन के लिए आभूषणों/शिल्प उपकरणों में निम्नलिखित पहचान चिह्न अथवा लोगो का उपयोग करूंगा/करेंगें। यह पहचान चिह्न स्वर्णाभूषण/शिल्प वस्तु में हॉलमार्किंग करने पर, तो एसेईंग और हॉलमार्किंग केन्द्र द्वारा मांगे जाने पर उन्हें प्रदान किया जाएगा। मैं/ हम, हॉलमार्क लगे आभूषणों/शिल्प वस्तुओं पर अपना स्वयं को किसी भी प्रकार के किसी पहचान चिह्न का प्रयोग नहीं करेंगें।

13. मैं/हम प्रतिज्ञा करते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016, नियम 2017 और आईएस 1417/2112 के अनुरूप स्वर्ण अथवा चांदी की हॉलमार्क वस्तुओं की बिक्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा हॉलमार्किंग विनियम 2018 और प्रमाण पत्र स्वीकार करने के लिए अनुरूपता मूल्यांकन योजना के लिए मार्गदर्शन के प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन करेंगें।

हस्ताक्षर

(स्तत्वधारी/भागीदार/निदेशक)

नाम

तारीख: पदनाम

स्थान: मुद्रा

प्ररूप II

[विनियम 4 का उप-नियम (2) के प्रति निर्देश में]

भारतीय मानक ब्यूरो

हॉलमार्क वाली वस्तुओं की बिक्री के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र सं.: एचएम/सी-

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 के 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर यह ब्यूरो एतद्द्वारा निम्नलिखित को प्रमाणपत्र प्रदान/प्रमाणपत्र का नवीकरण करता है। (यथा-अनुप्रयोज्य काट दें)

मैसर्स

परिसर का पता:

यहाँ अनुसूची के पहले कॉलम में दिखाए गए, उक्त अनुसूची के दूसरे कॉलम में दिखाई गई वस्तु पर हॉलमार्क का उपयोग करने हेतु प्रमाणपत्र, और बिक्री आऊटलेट से हॉलमार्क वाली वस्तु की बिक्री करना, जिसके लिए यह प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। उक्त अनुसूची के तीसरे कॉलम में दिखाए गए भारतीय मानक के लिए अनुरूपता का सत्यापन करने के पश्चात् केवल भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा मान्यता प्राप्त एसेईंग एवं हॉलमार्किंग केंद्र द्वारा ही वस्तुओं पर हॉलमार्क लगाया जाएगा।

अनुसूची

हॉलमार्क	वस्तु	भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)

2. इस प्रमाणपत्र का प्रचालन, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016, भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2017, भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्किंग विनियम 2018 और तदनुसार जारी अनुरूपता मूल्यांकन योजना के लिए जारी मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुसार किया जाएगा।

3. यह प्रमाणपत्र तारीखसे तक वैध होगा और संबंधित विनियमों के अनुसार इसका नवीकरण किया जायेगा। आज तारीख दिन दो हजार को हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित किया गया।

कृते भारतीय मानक ब्यूरो

अभिहित अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

IndiaCode

प्ररूप III

[विनियमन 6 का उप-नियम (1) के प्रति निर्देश में]

भारतीय मानक ब्यूरो

आभूषण विक्रेता के प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु आवेदन पत्र

प्रमुख, शाखा कार्यालय

भारतीय मानक ब्यूरो

महोदय/महोदया,

मैं/हम भारतीय मानक ब्यूरो, अधिनियम 2016, और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अन्तर्गत समय समय पर यथा-संशोधित के अंतर्गत प्रदान किए गए तारीख के प्रमाणपत्र सं. एचएम/सी..... के आगामी पाँच वर्षों के लिए नवीकरण आवेदन करते हैं। जो..... (व्यक्ति अथवा फर्म का पूरा नाम) (बिक्री/आऊटलेट का पूरा पता) के लिए है, इसकी शर्तें और निबंधन वही रहेंगी जो मेरे/हमारे पिछले आवेदन तथा उपरोक्त प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट की गई थी, तथा/अथवा इस प्रकार की जो भी अन्य शर्तें ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट की जाएंगी।

2. प्रमाणपत्र की स्वीकृति की तिथि: तक वैधता:

3. उत्पाद का नाम: आईएस सं. :

4. प्रमाणपत्र के अन्तर्गत शामिल अवधि के दौरान हॉलमार्क किए गए आभूषणों/शिल्प वस्तुओं की बिक्री का विवरण : प्रमाणपत्र प्रदान/नवीकरण की वैधता की तिथि से 3 माह पूर्व अर्थात् तारीख से तक।

(क) हॉलमार्किंग के लिए भेजे गए आभूषण/शिल्प वस्तु	(क) मात्रा, नगों की संख्या में
	(ख) मात्रा, वजन में
(ख) हॉलमार्क लगे आभूषण/शिल्प वस्तु की बिक्री	(क) मात्रा, नगों की संख्या में
	(ख) मात्रा, वजन में
(ग) एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्र का नाम और पता जहाँ इस अवधि के दौरान	आभूषण हॉलमार्किंग के लिए भेजे गये थे:

5. मैं/हम निम्नलिखित देयताओं के संबंध में यूटीआर संख्या तारीख / ड्राफ्ट सं. तारीख रुपये के नाम आहरित संलग्न कर रहे हैं।

(i) नवीकरण आवेदन शुल्क रुपये

(ii) पांच वर्षों के लिए प्रमाणन फीस रुपये

(iii) % @पर लागू कर

(iv) पूर्व देयता (हमारे नोटिस के अनुसार), यदि कोई हो

(v) कुल धनराशि रुपये

6. तारीख दिन दो हजार और को नवीकरण आवेदन

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कृते एवं की ओर से

मुद्रा

IndiaCode

प्रपत्र IV

[विनियम 8 का उप-नियम (2) देखें]

आईएस 15820 के अनुसार एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्र की मान्यता हेतु आवेदन

1.	एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्र का नाम और पूरा पता						
1.1	केंद्र का नाम						
	पूरा पता (स्थायी भूमि चिह्न का स्पष्ट सूचांकन और स्थान योजना संलग्न करें)						
	दूरभाष / फैक्स						
	ई-मेल						
1.2	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा पता (यदि उपरोक्त 1.1 से भिन्न हो)						
	दूरभाष/फैक्स/ई-मेल						
1.3	स्वामित्व का प्रकार					स्वत्वधारी/भागीदार/लिमिटेड कंपनी/सरकारी/ पी.एस.यू.	
1.4	पदनाम सहित स्वत्वधारी, सभी भागीदारों और निदेशकों के नाम, उपलब्ध कराएँ						
1.5	केंद्र के परिसर और इसकी विधिक पहचान						
	केंद्र के परिसर को प्राधिकृत करने वाले दस्तावेज (दस्तावेज की स्वयं अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)						
	केंद्र के स्थापना की विधिक पहचान संबंधी दस्तावेज (दस्तावेज की स्वयं अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)						
2.	मान्यता का कार्यक्षेत्र						
2.1	आवेदित मान्यता का विषय क्षेत्र (दिशानिर्देशों के अनुसार विवरण निर्दिष्ट करें)					स्वर्ण / चांदी / स्वर्ण और चाँदी, दोनों	
3.	मालिक/आवेदक के मुख्य कार्यकारी का नाम एवं पदनाम						
3.1	दूरभाष/फैक्स/ई-मेल						
3.2	केंद्र में गुणता प्रबंध पद्धति के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम एवं पदनाम						
4.	कर्मचारी/कार्मिक						
4.1	केंद्र में कुल कर्मचारियों की संख्या						
4.2	नाम, पदनाम, योग्यता, अनुभव प्रशिक्षण के विवरण, इत्यादि सहित विभाग-वार विवरण (निम्न प्रपत्र के अनुसार अलग शीट संलग्न करें)						
	विभाग	नाम	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	प्रशिक्षण विवरण	प्रतिनिधि का नाम, यदि कोई हो तो

IndiaCode

<table>
<tr><td>5</td><td colspan="10">परीक्षण उपस्कर/उपकरण और परीक्षण सुविधाएं</td></tr>
<tr><td>5.1</td><td colspan="10">निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार उपभोज्य सामग्री, पानी तथा पावर बैकअप सहित बिजली आपूर्ति सहित परीक्षण उपस्कर/सुविधाओं की खंडवार सूची (कृपया अलग से शीट संलग्न करें)</td></tr>
<tr><td>क्र.सं.</td><td>आई एस सं. और खंड संदर्भ</td><td>परीक्षण पद्धति (यदि और यथा लागू)</td><td>परीक्षण सुविधा (उपकरण संदर्भ सामग्री आदि)</td><td>मॉडल/ प्रकार/क्रमांक सं.औरनिर्माण करना</td><td colspan="2">रेज, परिशुद्धता और न्यूनतम गणक (यदि है और यथा लागू)</td><td colspan="2">अंशाकंन (यदि लागू है और यथा लागू)</td><td>टिप्पण यदि कोई हो तो</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>रेंज</td><td>न्यूनतम गणक</td><td>वैधता</td><td>अनुरेखणीयता</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="10">केंद्र का परिसर/अभिन्यास</td></tr>
<tr><td>6.1</td><td colspan="8">कुल उपलब्ध क्षेत्र और मूल्यांकन कक्ष की जगह (वर्ग फुट में)</td><td></td></tr>
<tr><td>6.2</td><td colspan="8">परीक्षण क्षेत्र, कार्यालय इत्यादि को दर्शाते हुए केंद्र के अभिन्यास की योजना, (अभिन्यास योजना संलग्न करें)</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="8">केंद्र की गुणता प्रबंध पद्धति</td><td></td></tr>
<tr><td>7.1</td><td colspan="8">एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्र में कार्यान्वित गुणता मैनुअल के विवरण (प्रलेख सं., जारी करने की सं. और तारीख) (गुणता मैनुअल की प्रतिलिपि संलग्न की जाए)</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="8">दक्षता परीक्षण/अंतर प्रयोगशाला परीक्षण तुलना</td><td></td></tr>
<tr><td>8.1</td><td colspan="8">कृपया आपके केंद्र के दक्षता परीक्षण/अंतर प्रयोगशाला परीक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के विवरण दें (पिछले तीन वर्षों के दौरान)</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="8">बीमा</td><td></td></tr>
<tr><td>9.1</td><td colspan="8">क्या व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा लिया गया है? यदि हाँ, कृपया पॉलिसी सं., वैधता की तिथि और कितनी राशि का बीमा लिया गया है, का विवरण उपबल्ध कराएं।</td><td>हाँ / नहीं</td></tr>
<tr><td>9.2</td><td colspan="8">क्या प्रक्रमाधीन शिल्प वस्तुओं/स्टॉक और उच्च लागत वाले उपकरणों के लिए बीमा लिया गया है? यदि हाँ तो, कृपया पॉलिसी सं., वैधता तिथि और कितनी राशि का बीमा लिया गया है, विवरण उपबल्ध कराएं।</td><td>हाँ / नहीं</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="8">मूल्यांकन के लिए तैयारी</td><td></td></tr>
<tr><td>10.1</td><td colspan="8">केंद्र मूल्यांकन के लिए किस तिथि तक तैयार हो जाएगा?</td><td></td></tr>
</table>

IndiaCode

11	पूर्व रद्दीकरण/अभियोगों के विवरण, यदि कोई हो	
12	भुगतान के विवरण (एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्रों के लिए लागू फीस देखें)	
12.1	राशि	
12.2	बैंक का नाम	
12.3	डी.डी सं./यूटीआर सं./बैंक चालान सं.	
12.4	तारीख	
13	कोई अन्य ऐसी जानकारी, जो केंद्र उपलब्ध करा सकता है	

MediaCode

घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि मैने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016, भारतीय मानक ब्यूरो, नियम 2017 और भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) विनियम, 2018 तथा एसेईंग एवं हॉलमार्किंग (ए एण्ड एच) केंद्र के लिए अनुरूपता मूल्यांकन योजना के प्रावधानों को अच्छी तरह से पढ़ और समझ लिया है और मैं उनका अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम (स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक)

तारीख : मुद्रा

स्थान:

प्रपत्र V

[विनियम 8 के उप-विनियम (2) का खंड (च) देखें]

एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्र द्वारा बीआईएस से मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र सह वचनबद्धता

1. मैं / हम (एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्र का नाम)

..... एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्र है (जिसकी अभिव्यक्ति में इसके वारिस सहित और/अथवा नियुक्त) जिसकी पते पर प्रयोगशाला है, और एतदद्वारा वचन देते हैं कि हम भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016, भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2017, भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) विनियम, 2018 और समय समय पर यथा संशोधित एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्रों के लिए अनुरूपता मूल्याकंन योजना के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का कठोरता से अनुपालन करेंगे।

2. मैं/ हम.....मैसर्स..... के स्वत्वधारी/प्रबंधन/भागीदार, प्रतिनिधि प्रमुख कार्यकारी अधिकारी एतद्वारा घोषणा करते हैं कि एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्र के पास विधिक विशिष्टता है और स्वतंत्र स्थिति है, यह एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्र आईएस 15820 'एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की स्थापना और प्रचालन के लिए सामान्य अपेक्षाएँ' के अनुरूप स्थापित किया गया है और समय समय पर यथा-संशोधित भारतीय मानक की अपेक्षाओं का अनुपालन हम सतत् रूप से करेंगे।

3. मैं/हम सहमत हैं और पूरी तरह समझते हैं कि बीआईएस की हॉलमार्किंग योजना के अंतर्गत आभूषण अथवा शिल्पवस्तु में मूल्यवान धातु (स्वर्ण अथवा चांदी) की परिशुद्धता अंश का निर्धारण और बी.आई.एस. हॉलमार्क की आभूषणों अथवा शिल्पवस्तुओं पर मुद्रांकन केवल भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणित आभूषण विक्रेता को ही प्रभार के आधार पर प्रदान करेंगें और यह भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणित एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्र का उत्तरदायित्व होगा।

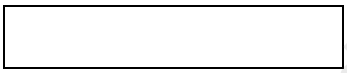
4. मैं/ हम भारतीय मानक ब्यूरो को सभी दावों/नुकसानों से अलग रखने के लिए सहमत हैं जो किसी भी सोने और चांदी की वस्तु की हॉलमार्किंग में शुद्धता की कमी के कारण बी.आई.एस. के विरूद्ध किसी व्यक्ति /उपभोक्ता /एसोसिएशन/आभूषण विक्रेताओं द्वारा किये गये दावों का उत्तरदायित्व हमारा होगा।

5. मैं/ हम अपने दस्तावेजों जैसे पत्रशीर्ष, रसीद, बीजक, सुपुर्दगी चालान, मूल्यांकन शीट, मूल्यांकन परीक्षण- रिपोर्ट, हॉलमार्किंग प्रमाणपत्र, यदि जारी हुआ हो तो, केवल' बी.आई.एस. मान्यता प्राप्त एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्र'शब्द के साथ बी.आई.एस. के लोगों प्रयोग करेंगे और मुद्रण और /अथवा इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रचार करेंगे।

6. मैं/ हम न तो हम मान्यता का उपयोग किसी ऐसे रूप में नहीं करेंगे जिससे बी.आई.एस. की बदनामी हो और न ही मान्यता से संबंधित कोई ऐसा वक्तव्य देंगे जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भ्रामक माना जाए।

7. मैं/ हम आईएस 15820 में यथा - विनिर्दिष्ट हमारी कोई भी गतिविधि जैसे प्राप्ति, नमूना लेने, एसेईंग और हॉलमार्किंग को किसी अन्य एजेन्सी को ठेके में नहीं देंगे।

8. नीचे दिये गये पहचान चिह्न अथवा लोगों का स्वामित्व हमारा है। हमने आभूषणों अथवा शिल्पवस्तुओं पर हॉलमार्क को घटक के रूप में आवेदकों को चिह्न और लोगो प्रदान किया है। हमारे द्वारा केवल बी.आई.एस. द्वारा प्रमाणित आभूषण विक्रेताओं द्वारा एसेईंग एवं हॉलमार्किंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। हम हॉलमार्किंग के लिए कोई भी अन्य पहचान चिह्न अथवा लोगो का उपयोग नहीं करेंगे। यदि हमें ब्यूरो से रजिस्ट्रीकृत चिह्न को बदलना चाहेंगे तो इस मामले में ब्यूरो से पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे। हम इस प्रकार के आभूषणों अथवा शिल्प वस्तुओं में लगाये गये हमारे चिह्न अथवा लोगो के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।



9. मैं/ हम जानते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्र की वैधता इसकी योग्यता और अनुपालनात्मकता के मूल्यांकन के आधार पर निष्पादन संतोषजनक पाये जाने पर तीन वर्ष की अवधि के लिए है। यह वचनबद्धता भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता रद्द होने तक लागू रहेगा। शपथपत्र सह वचनबद्धता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन होने पर मान्यता रद्द हो जाएगी।

10. मैं/ हम यह भी घोषणा करते हैं कि सम्प्रवर्तक (सम्प्रवर्तकों) अथवा उनके किसी नजदीकी रिश्तेदारों पर पिछले एक वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के आपराधिक अपराध मे कोई भी अभियोजन दायर नहीं किया गया है।

11. मैं/ हम यह भी घोषणा करते हैं कि सम्प्रवर्तक (सम्प्रवर्तकों) अथवा उनके किसी नजदीकी रिश्तेदारों को पिछले एक वर्ष के दौरान अन्य किसी एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्र को चलाने के दौरान कोई भी गंभीर अनिमियतता में संलिप्त नहीं पाया गया है।

12. मैं/ हम यह भी घोषणा करते हैं कि एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्र के सम्प्रवर्तक (सम्प्रवर्तकों) का किसी भी आभूषण व्यापार अथवा निर्माण में कोई भी संलिप्तता नहीं है।

13. मैं/ हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणपत्रधारक निम्नलिखित आभूषण विक्रेता मेरे/नजदीकी रिश्तेदार हैं*।

क्रम सं.	एसेईंग एवं हॉलमार्किंग केंद्र के स्वत्वधारी / भागीदार (भागीदारों) / निदेशक (निदेशकों) के नाम	आभूषण फर्म के मालिकों के रिश्तेदार (रिश्तेदारों) के नाम और स्तम्भ 2 में उल्लिखित के साथ उनका संबंध	आभूषण विक्रेताका नाम और पता	आभूषण विक्रेताकी बी.आई.एस. प्रमाणपत्र सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

14. मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त सूचीबद्ध आभूषण विक्रेताओं की सूची में किसी भी प्रकार का बदलाव होने पर, मैं/हम तुरंत इस प्रकार की सूचना से भारतीय मानक ब्यूरो को अवगत कराएंगे।

15. मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मेरा/हमारा एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्र उपरोक्त उल्लिखित आभूषण विक्रेताओं से आभूषण/शिल्पवस्तु हॉलमार्किंग के लिए स्वीकार नही करेंगे।

16. मैं/ हम यह जानते हैं कि यदि किसी कारण भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किसी भी समय उपरोक्त घोषणा गलत पायी जाती है तो मेरे/हमारे हॉलमार्किंग केंद्र की स्वीकृत मान्यता रद्द की जा सकती है।

हस्ताक्षर

(स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक)

नाम

पदनाम

मुद्रा

तारीख

स्थान

टिप्पण: • किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में 'रिश्तेदार' का मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से है जो एक दूसरे से संबंधित हो, यदि --

क) वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हों :

ख) वे पति और पत्नी हों : अथवा

ग) यदि वह अथवा वे एक दूसरे से निम्नलिखित प्रकार से संबंधित हों, नामतः –

(i) सौतेले पिता सहित पिता (ii) सौतेली माँ सहित माँ (iii) सौतेला पुत्र सहित पुत्र, (iv) पुत्रवधू (v) पुत्री (vi) दामाद (vii) सौतेले भाई सहित भाई (viii) सौतेली बहन सहित बहन

IndiaCode

प्रपत्र VI

(विनियम 9 का उप-नियम (2) देखें)

भारतीय मानक ब्यूरो

एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्र के लिए मान्यता प्रमाणपत्र

मान्यता सं. – एचएम/आर –

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए ब्यूरो एतद्वारा भारतीय मानक आईएस 15820 'एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की स्थापना और प्रचालन के लिए सामान्य अपेक्षाओं' के अनुरूप निम्नलिखित को मान्यता/नवीकरण को मंजूरी (अपेक्षानुसार काट दें) प्रदान करते हैं –

मैसर्स

पता:

यहाँ अनुसूची के पहले स्तम्भ में दिखाए गए हॉलमार्क का उपयोग करने के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित आभूषण विक्रेताओं से प्राप्त बहुमूल्य धातु की वस्तुएँ, जो उक्त अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में दिखाई गई हैं, उन पर मुद्रांकन करने के लिए उक्त अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर भारतीय मानक के प्रति अनुरूपता का सत्यापन करने के बाद एसेंईंग और हॉलमार्किंग केंद्र द्वारा हॉलमार्क लगाया जाएगा। उक्त अनुसूची के चौथे स्तम्भ में मान्यता का कार्यक्षेत्र दर्शाया जाएगा।

अनुसूची

हॉलमार्क	वस्तु	भारतीय मानक	मान्यता का कार्यक्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)

2. यह मान्यता भारतीय मानक ब्यूरो, अधिनियम 2016, भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2017, भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) विनियम, 2018 और उसके अंतर्गत जारी हॉलमार्किंग योजना हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रचालित की जाएगी।

3. यह मान्यता तारीख से..... तक वैध होगी और संबंधित विनियमों के अनुसार इसका नवीकरण किया जाएगा।

आज तारीखदिन दो हजार को हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

कृते भारतीय मानक ब्यूरो

अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर और नाम

प्रपत्र VII

(विनियम 11 का उप-नियम (1) देखें)

भारतीय मानक ब्यूरो

आईएस 15820 के अनुसार एसेईंग एवं हॉलमार्किंग केंद्र की मान्यता के नवीकरण हेतु आवेदन पत्र

(जो लागू नहीं हो, उसे काट दें)

1.	एसेईंग एवं हॉलमार्किंग केंद्र का नाम और पूरा पता	
1.1	केंद्र का नाम	
	पूरा पता (स्थायी भूमि चिह्न को स्पष्ट रूप से दर्शाएं और स्थान योजना संलग्न करें)	
	दूरभाष/फैक्स/ईमेल	
1.2	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा पता (यदि उपरोक्त 1.1 से भिन्न हो)	
	दूरभाष/फैक्स/ईमेल	
1.3	स्वमित्व का प्रकार	स्वत्वधारी/भागीदार/लिमिटेड कंपनी/सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम
1.4	केंद्र की परिसर और इसकी विधिक पहचान	
	किसी भी परिवर्तन के मामले में केंद्र के परिसर का प्राधिकृत दस्तावेज (अन्यथा स्पष्ट करें कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है) (दस्तावेज की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)	
	किसी भी परिवर्तन के मामले में केंद्र परिसर के स्थापना संबंधी विधिक पहचान दस्तावेज (दस्तावेज की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)	
2	मान्यता	
2.1	मान्यता की वैधता (मान्यता का नवीकरण करने के मामले में लागू)	
3	मान्यता का विस्तार	
3.1	मौजूदा मान्यता का विस्तार (मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विवरण दें)	स्वर्ण/चांदी/ स्वर्ण और चांदी दोनों
3.2	मान्यता के विषय क्षेत्र में कोई परिवर्तन प्रस्तावित हो, यदि हाँ, कृपया विवरण दें।	हाँ / नहीं
4	केंद्र के प्रबंधन की संरचना	

IndiaCode

4.1	मालिक / आवेदक के मुख्य कार्यकारी का नाम एवं पदनाम	
	दूरभाष/फैक्स/ईमेल	
4.2	केंद्र में गुणता प्रबंध पद्धति के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम	
5	कर्मचारी/कार्मिक	
5.1	केंद्र में कर्मचारियों की कुल संख्या	
5.2	नाम, पदनाम, योग्यता, अनुभव प्रशिक्षण के विवरण, इत्यादि सहित विभाग-वार विवरण (निम्न प्रपत्र के अनुसार अलग पन्ना संलग्न करें)	

	विभाग	नाम	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	प्रशिक्षण विवरण	प्रतिनिधि का नाम, यदि काई हो

6	परीक्षण उपस्कर/उपकरण और परीक्षण सुविधाएं	
6.1	निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार उपभोज्य सामग्री, पानी तथा पावर बैकअप सहित बिजली आपूर्ति सहित परीक्षण उपस्कर/सुविधाओं की खंडवार सूची (कृपया अलग से पन्ना संलग्न करें)	

क्र. सं.	आईएस सं. एवं खंड संदर्भ	परीक्षण पद्धति (यदि और यथा लागू)	परीक्षण सुविधा (उपकरण संदर्भ सामग्री इत्यादि)	मॉडल/ प्रकार/क्रम सं. और निर्माण करना	रेंज, परिशुद्धता और न्यूनतम गणक (यदि है और यथा लागू)		अंशाकंन (यदि है और यथा लागू)		टिप्पण यदि है कोई हो
					रेंज	न्यूनतम गणक	वैधता	अनुरेखणीयता	

7	केंद्र परिसर/अभिन्यास	
7.1	कुल उपलब्ध क्षेत्र और मूल्यांकन कक्ष का क्षेत्र (वर्ग फुट में)	
7.2	परीक्षण क्षेत्र को दर्शाते हुए लेआउट का प्लान, कार्यालय इत्यादि (अभिन्यास योजना संलग्न करें)	
8	केंद्र की गुणता प्रबंध पद्धति	
8.1	एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्र में कार्यान्वित गुणता मैनुअल का विवरण (प्रलेख सं. निर्गम सं. और तारीख) (गुणता मैनुअल की प्रतिलिपि संलग्न की जाएं, यदि पुनरीक्षित हुआ हो)	
8.2	क्या आपका केंद्र आईएस/आइएसओ/आइईसी 17025 के अनुरूप प्रत्यायित है, यदि हॉ, प्रत्यायित की वैधता की तिथि	हाँ / नहीं
9	भुगतान के विवरण (एसेईंग और	

Indiacode

	हॉलमार्किंग केंद्रों के लिए लागू फीस देखें)	
9.1	राशि	
9.2	बैंक का नाम	
9.3	डीडी सं./यूटीआर सं./बैक चालान सं.	हाँ / नहीं
9.4	तारीख	
10	कोई अन्य ऐसी जानकारी जिसे केंद्र उपलब्ध करा सकता है	

घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि मैने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016, भारतीय मानक ब्यूरो, नियम 2017 और भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) विनियम, 2018 और एसेईंग और हॉलमार्किंग (ए तथा एच) केंद्र के लिए अनुरूपता मूल्यांकन योजना के प्रावधानों को अच्छी तरह से पढ़ और समझ लिया है और उनके अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम (स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक)

तारीख :

मुद्रा

स्थान:

IndiaCode

प्रपत्र VIII

(विनियम 14 का उप-नियम (2) देखें)

भारतीय मानक ब्यूरो

हॉलमार्क के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र

1. फर्म का पूरा नाम:

2. (क) कार्यालय का पता –

पिन कोड, जिला और राज्य सहित

दूरभाष: फैक्स: ईमेल:

(एसटीडी कोड सहित) (एसटीडी कोड सहित)

(ख) कारखाने का पता:

पिन कोड, जिला और राज्य सहित

दूरभाष: फैक्स: ईमेल:

(एसटीडी कोड सहित) (एसटीडी कोड सहित)

3. पत्राचार हेतु पता: कार्यालय/कारखाना

4 प्रबंधन का विवरण

क्र.सं.	नाम	पदनाम
(i)		
(ii)		
(iii)		

5. गुणता नियंत्रण कार्मिक और परख करने वाले का विवरण

क्र.सं.	नाम	पदनाम
(i)		
(ii)		
(iii)		

6. संपर्क व्यक्ति के विवरण

क्र.सं.	नाम	मोबाइल नंबर/ईमेल

7. फर्म के विवरण: बड़ा/एम.एस.एम.ई.:

8. आवेदित अनुज्ञप्ति: यह आवेदन निम्न पर भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्क का उपयोग किये जाने के लिए है:

उत्पाद	
आईएस/भाग/खंड/वर्ष	
शामिल होने वाली किस्म	

9.

उत्पादन की इकाइयाँ	वर्तमान संस्थापित क्षमता	मात्रा	मूल्य

10. (क) भारतीय मानक ब्यूरो से प्राप्त कोई अन्य अनुज्ञप्ति हाँ/ नहीं

(ख) यदि हाँ, विवरण दें अनुज्ञप्ति सं.: उत्पाद: आईएस सं.:

11. पिछले रद्दीकरण/दोषसिद्धि के विवरण, यदि कोई हो:

12. भुगतान का विवरण : मांगदेय ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग/बैंक चालान

(कृपया आभूषण विक्रेताओं के लिए लागू फीस देखें)

राशि (रूपयों में)	बैंक का नाम	मांगदेय ड्राफ्ट सं./यूटीआर सं./बैंक चालान सं.	तारीख

13. मैं/हम वचन देते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016, भारतीय मानक ब्यूरो, नियम 2017, भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) विनियम, 2018 और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अंतर्गत जारी की गई अनुरूपता मूल्यांकन योजना के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन करेंगे।

हस्ताक्षर

(स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक)

नाम

पदनाम

तारीख : मुद्रा

स्थान:

IndiaCode

प्रपत्र IX

(विनियम 14 के उप-नियम (3) का खंड (ज) देखें)

निर्माण करने वाली मशीनों के संबंध में घोषणा

कोई भी प्रविष्टि काटी न जाए

1. आवेदन/अनुज्ञप्ति सं.:

2 नाम / पता

क्र. सं.	मशीनरी	निर्माण/पहचान सं.	प्रतिदिन उत्पादन क्षमता, यदि लागू हो	संख्या	टिप्पणी

नोट : यदि अपेक्षित हो तो, अलग से पन्ना संलग्न करें।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ जिन मशीनों के विवरण ऊपर दिए गए हैं, वे हमारे पास उपलब्ध हैं। मै यह भी घोषणा करता हूँ कि किसी भी कारण से कोई भी मशीनरी उपलब्ध नहीं होने पर, भारतीय मानक ब्यूरो को पूर्व सूचना दूँगा। फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नाम पदनाम तारीख	मेरे निरीक्षण के दौरान उपरोक्त उल्लिखित मशीनरी की उपलब्धता का मैने सत्यापन किया है। बी.आई.एस. के निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर नाम पदनाम तारीख सत्यापन की तारीख

प्रपत्र X

(विनियम 14 के उप-नियम (3) का खंड (i) देखें)

परीक्षण उपकरण के संबंध में घोषणा

कोई भी प्रविष्टि काटी न जाएं

1. आवेदन पत्र/अनुज्ञप्ति सं.

2 नाम /पता

क्र. सं.	परीक्षण उपकरण /रसायन और पहचान सं. (जहाँ लागू हो)	न्यूनतम गणक और रेंज (जहाँ लागू हो)	वैध अंशाकन (जहाँ अपेक्षित हो) हाँ / नहीं	खंड में प्रयुक्त परीक्षण का संदर्भ	टिप्पणी (उपकरणों की संख्या दर्शाएं)

indiaCode

नोट: यदि अपेक्षित हो तो, अलग से पन्ना संलग्न करें।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ जिन मशीनों के विवरण ऊपर दिए गए हैं, वे हमारे पास उपलब्ध हैं। मै यह भी घोषणा करता हूँ कि किसी भी कारण से कोई भी मशीनरी उपलब्ध नहीं होने पर, भारतीय मानक ब्यूरो को पूर्व में सूचित करूंगा। फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नाम पदनाम तारीख	मैंने निरीक्षण के दौरान उपरोक्त उल्लिखित मशीनरी की उपलब्धता का मैने सत्यापन किया है। बी.आई.एस. के निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर नाम पदनाम तारीख सत्यापन की तारीख

प्रपत्र XI

(विनियम 15 का उप-नियम (3) देखें)

भारतीय मानक ब्यूरो

हॉलमार्क का उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति सं. : एचएम/एल -

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 के 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ब्यूरो एतद् द्वारा निम्नलिखित को अनुज्ञप्ति प्रदान करता है-

मैसर्स

(जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी कहा जाएगा) यहाँ अनुसूची के पहले स्तम्भ में दिखाए गए हॉलमार्क का प्रयोग, उक्त अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में दिखाई गई ऐसी किस्मों के संबंध में अथवा उन पर करने के लिए है, जो उक्त अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में दर्शाए गए, समय समय पर यथा-संशोधित या पुनरीक्षित भारतीय मानक (कों), के अनुसार/अनुरूप उत्पादित किए गए हों। उक्त अनुसूची के चौथे स्तम्भ में यथा-विनिर्दिष्ट मुद्रांकन फीस होगी।

अनुसूची

हॉलमार्क (1)	भारतीय मानक (2)	अनुज्ञप्ति का कार्यक्षेत्र (3)	मुद्रांकन फीस (4)
			एक वर्ष की प्रचालन अवधि के दौरान रु..... की न्यूनतम मुद्रांकन फीस सहित सभी इकाइयों के लिए रुपये प्रति इकाई। इकाई एक प्रचालन वर्ष का न्यूनतम मुद्रांकन फीस अग्रिम देय होगी जिसे अगले नवीकरण(णों) के लिए आगे लाया जाएगा।

2. इस अनुज्ञप्ति का प्रचालन भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016, भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2017, भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) विनियम, 2018 और उसके अंतर्गत जारी हॉलमार्किंग योजना हेतु मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

IndiaCode

3. यह प्रमाणपत्र तारीख से तक वैध होगा और संबंधित विनियमों के अनुसार इसका नवीकरण किया जाएगा।

आज तारीख दिन दो हजार को हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

कृते भारतीय मानक ब्यूरो

अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर और नाम

प्रपत्र XII

(विनियम 15 का उप-नियम (5) देखें)

भारतीय मानक ब्यूरो

अनुज्ञप्ति संख्या हॉलमार्क/अनुज्ञप्ति सं. एचएम/एल अनुलग्नक

एचएम/एल-	कारखाने के पते सहित अनुज्ञप्तिधारी का नाम	उत्पाद का नाम	भारतीय मानक संख्या

पृष्ठांकन सं. तारीख

ब्यूरो द्वारा तारीख से निम्नलिखित किस्म/किस्मों का परिवर्धन/लोपन का अनुमोदन किया गया है।

उपरोक्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप अनुसूची की सारणी के स्तम्भ (3) में अनुज्ञप्ति के पुनरीक्षित विषय क्षेत्र में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

अनुज्ञप्ति की अन्य शर्तें वही रहेंगी।

अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर

(अभिहित अधिकारी का नाम)

प्रपत्र XIII

(विनियम 17 का उप-विनियम (1) देखें)

अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन पत्र

प्रमुख शाखा कार्यालय

भारतीय मानक ब्यूरो

महोदय/महोदया,

मैं /हम पर व्यापार कर रहे हैं (समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति सं. एचएम/एल.....का से तक की अवधि के लिए नवीकरण हेतु आवेदन करता हूं/ करते हैं। उपरोक्त अनुज्ञप्ति में यथा-विनिर्दिष्ट और समय-समय पर यथा-संशोधित ही रहेंगी।

2. इस अनुज्ञप्ति के अंतर्गत बी.आई.एस. हॉलमार्क वाली वस्तुओं के उत्पादन का विवरण हमारी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रमाणित निष्पादन रिपोर्ट (अनुलग्नक II) में पिछले पृष्ठ पर संलग्न है।

IndiaCode

3. मैं/हम इसके साथ निम्नलिखित देय रुपये हेतु रसीद सं..... तारीख संलग्न कर रहें हैं:

(i) नवीकरण आवेदन फीस रु.

(ii) वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रु. प्रति वर्ष दर

(iii) इकाई–दर के आधार पर परिकलित मुद्रांकन शुल्क

(पिछले पृष्ठ के रिपोर्ट की मद 3) अथवा न्यूनतम मुद्रांकन शुल्क, जो भी अधिक हो)

(iv) पूर्व देय/अन्य फीस (बीआईएस के नोटिस के अनुसार), यदि कोई हो

(v) कुल राशि रु.

हस्ताक्षर

तारीख

नाम

पदनाम

कृते और की ओर से

फर्म की मुद्रा

प्रपत्र XIII का अनुबंध

निष्पादन रिपोर्ट

(इस रिपोर्ट द्वारा तारीख से तक की अवधि कवर की जाएं)

उत्पाद का नाम भारतीय मानक सं.

अनुज्ञप्ति सं. – एचएम/एल–

1. वस्तु (ओं) का कुल उत्पादन

2. बी.आई.एस. हॉलमार्क के साथ शामिल उत्पादन और इसका कुल अनुमानित मूल्य

2.1 मात्रा –

2.2 मूल्य (रु.)

3. मुद्रांकन फीस की गणना:

3.1 इकाई

3.2 मुद्रांकन फीस प्रति इकाई

3.3 3.2 पर उल्लिखित इकाई दर के साथ 2.1 में उल्लिखित मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त मुद्रांकन फीस

3.4 न्यूनतम मुद्रांकन फीस

4. बी.आई.एस. हॉलमार्क में शामिल नहीं की गयी मात्रा, यदि कोई है

और इसे शामिल नहीं होने का कारण

5. बी.आई.एस. प्रमाणित वस्तुओं के केंद्र/राज्य सरकार मंत्रालय/ विभाग /उपक्रम इत्यादि सहित सभी खरीददारों के नाम और पता (यदि लागू हो)

6. उल्लिखित अवधि के लिए माह-वार उत्पादन विवरण

नोट : अपेक्षानुसार, अलग से पन्ना संलग्न किया जाए।

IndiaCode

प्रपत्र XIV

[विनियम 17 का उप-विनियम (3) देखें]

भारतीय मानक ब्यूरो

अनुज्ञप्ति सं. एचएम/एल– का संलग्नक

एचएम/एल सं.	कारखाने के पते सहित अनुज्ञप्तिधारी का नाम	उत्पाद का नाम	भारतीय मानक सं.

पृष्ठांकन सं. तारीख

चूँकि, अनुज्ञप्ति तारीख तक वैध थी,

*और, चूँकि नवीकरण तारीख तक आस्थगित किया गया था और अनुज्ञप्ति का प्रयोग करना अनुमत नहीं था अथवा तारीख से तक मानक मुद्रा का प्रयोग करना अनुमत नहीं था। (*यदि लागू नहीं हो तो काट दें)

अब, नवीकरण के परिणामस्वरूप, मूल अनुज्ञप्ति/पृष्ठांकन सं. की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति की वैधता को तारीख से तक बढाया गया है।

अनुज्ञप्ति की अन्य शर्तें वही रहेंगी।

अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर

(अभिहित अधिकारी का नाम)

एच.एल. उपेंदर, वैज्ञानिक जी एवं डीडीजी (सीए एवं पीपी&सी)

[विज्ञापन-III/4/असा./103/18-19]

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2018

F. No. BS/11/05/2018.—In exercise of the powers conferred by section 39 read with sections 13 and 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Executive Committee of the Bureau of Indian Standards, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement. - (1)** These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Hallmarking) Regulations, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**. - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,–

(a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 2016;

(b) "carat" means the ratio between the mass of gold content and the total mass expressed in parts per twenty-four;

IndiaCode

(c) "fineness" means the ratio between the mass of precious metal content and the total mass expressed in parts per thousand;

(d) "rules" means the Bureau of Indian Standards Rules, 2017;

(e) "Schedule" means the Schedule annexed to these regulations.

(2) The words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

Chapter I

Grant, Operation, Renewal and Cancellation of Certificate of Registration

3. Application for certificate of registration. - (1) A jeweller shall apply for grant of certificate of registration to sell precious metal articles notified under sub-section (1) of section 14 of the Act.

(2) The application under sub-regulation (1) shall be made to the Bureau in Form-I, annexed to these regulations, along with the fee specified in the Schedule-I.

(3) The application form shall be signed by the applicant or by any other person authorised in this regard.

(4) The application shall be accompanied by self-certified copy of the following documents, namely:-

(a) proof of establishment of the firm or company;

(b) proof of the address of the premises;

(c) proof of identity of the signatory;

(d) map indicating location of the premises from the nearest landmark; and

(e) proof in regard to annual turnover.

(5) The application shall be rejected if it is not accompanied by requisite fee.

(6) The application shall be acknowledged on its receipt.

(7) If the documents submitted under sub regulation (4) are not in order, the Bureau may call for required document or any supplementary information, as the case may be, if required for the purpose of clarification.

(8) If the document or clarification furnished by the applicant is found in order, the application shall be further processed for grant of a certificate of registration.

(9) The application under sub-regulation (2) may be rejected by the Bureau if the documents are not found in order.

(10) The applicant may furnish his reply with necessary documents and may request for hearing either in person or through a representative authorised by him within fourteen days from the date of receipt of the notice.

(11) The decision of the Bureau with the grounds of rejection shall be communicated in writing to the applicant.

(12) The application fee shall not be refundable in case of rejection of the application under sub-regulation (9).

4. Grant of certificate of registration**. -** (1) The Bureau may grant certificate of registration,-

(a) if the application is found in order; and

(b) on payment of registration fee specified in Schedule-I.

(2) The certificate of registration shall be granted in Form-II annexed to these regulations and shall be valid for a period of five years.

(3) The details of the certificate of registration shall be hosted on the website of the Bureau.

(4) The certificate of registration shall be valid for the premises mentioned in the certificate of registration.

(5) The certificate of registration shall be subject to terms and conditions specified in regulation 5.

5. Terms and conditions of certificate of registration. - (1) The registered jeweller shall be responsible for purity and fineness of the hallmarked precious metal articles sold by it.

(2) The registered jeweller may sell hallmarked precious metal articles, which are marked with the identification mark of any other jeweller, provided evidence of purchase or authorisation in any other form is available with him.

(3) The registered jeweller getting the article hallmarked shall be responsible for purity and fineness of such article.

(4) The registered jeweler, who makes the sale shall be liable to pay compensation for any shortage in purity or fineness as per rules.

(5) The registered jeweller shall inform the Bureau of any change in premises and management of the firm.

(6) The registered jeweller shall get the precious metal articles hallmarked as per the relevant Indian Standard from an assaying and hallmarking centre recognised by the Bureau.

IndiaCode

(7) The registered jeweller shall submit the precious metal articles to the assaying and hallmarking centre with a request for hallmarking, in writing for each consignment and a copy of the each of the request shall be maintained by him.

(8) While submitting the precious metal articles for assaying and hallmarking, the registered jeweller shall mention his name and address, certificate of registration number, identification mark, type of article, number of article, declared purity of each article or group of articles and overall weight of consignment in each request, which shall be signed by an authorised representative of the jeweller with date.

(9) The registered jeweller shall declare the name and signature of his representative who shall be authorised to submit request for hallmarking, to the assaying and hallmarking centre.

(10) The registered jeweller shall pay hallmarking fee to the assaying and hallmarking centre as specified in Schedule III.

(11) The bill or invoice of sale of hallmarked precious metal articles shall indicate separately description of each article, net weight of precious metal, purity in carat and fineness, and hallmarking charges.

(12) In case of any amendment or revision of the standard, the Bureau shall give notice of thirty days to the registered jeweller before its implementation.

(13) The registered jeweller shall maintain record of copies of request for hallmarking, invoice or bill issued by assaying and hallmarking centre, invoice or bill of sale of hallmarked articles and invoice or bill of purchase of hallmarked articles from jewellers, if any, for a period of five years or till the hallmarked articles are sold, whichever is longer.

(14) The registered jeweller shall co-operate with the authorised representative of the Bureau in inspection of its outlet, in production of relevant records and drawal of sample during surveillance or for investigation of a complaint.

(15) The registered jeweller shall display prominently in the sales outlet the original certificate of registration issued by the Bureau for sale of hallmarked articles and other display requirements as stipulated by the Bureau.

(16) The Bureau may alter, during the validity of the certificate of registration, any terms and conditions of the certificate of registration by giving thirty days' notice to the registered jeweller.

(17) The violation of terms and conditions, may lead to the cancellation of the certificate of registration.

6. Renewal of certificate of registration**. -** (1) The registered jeweller shall submit renewal application in Form-III annexed to these regulations to the Bureau along with fee as specified in Schedule-I before thirty days of the expiry of the validity of certificate of registration.

(2) In case renewal application is received before the expiry of validity,-

(a) the certificate of registration may be renewed for a period of five years; or

(b) the decision on renewal of the certificate of registration may be kept under deferment up to three months, if certificate of registration is being considered for cancellation or non-renewal and the decision of deferment shall be informed to the registered jeweller with instructions to stop the sale of hallmarked precious metal articles and stop getting precious metal articles hallmarked.

7. Cancellation or non-renewal of certificate of registration**. -** (1) The Bureau may cancel or not renew a certificate of registration, if,-

(a) any declaration made by the jeweller is found to be false or incorrect;

(b) registered jeweller has violated any of the terms and conditions of the certificate of registration;

(c) registered jeweller has sold or offered for sale of hallmarked precious metal article of purity or fineness less than that claimed or marked on the article;

(d) registered jeweller has failed to co-operate with the authorised representative of the Bureau to enable him to discharge his duties during the visit for surveillance or investigation of a complaint;

(e) registered jeweller is found indulging in any unfair practices amounting to misuse of hallmark.

(2) Before cancellation or non-renewal of certificate of registration, the Bureau shall give notice to the registered jeweller of its intention to cancel or not renew the certificate of registration citing reasons for the same.

(3) In case the notice is issued for cancellation or non-renewal of certificate of registration due to reasons given at clause (e) of sub-regulation (1), the registered jeweller shall be instructed to stop the sale of hallmarked precious metal articles and stop getting precious metal articles hallmarked forthwith.

(4) On receipt of notice under sub-regulation (2), the registered jeweller may submit an explanation to the Bureau within fourteen days from the date of receipt of the notice.

(5) When an explanation is submitted, the Bureau may consider the explanation and give a personal hearing to the registered jeweller or his authorised representative, as the case may be.

(6) In the case of compounding of the offence, the certficate shall not be processed for cancellation.

(7) If no explanation is submitted, the Bureau may cancel the certificate of registration on the expiry of period of the notice.

(8) Where a certificate of registration has been cancelled or not renewed, the jeweller shall stop the sale of hallmarked precious metal articles and stop getting precious metal articles hallmarked from any assaying and hallmarking centre notwithstanding the pendency of appeal under section 34 of the Act.

(9) In cases of cancellation or non-renewal due to reasons given in clause (e) of sub- regulation (1), the Bureau shall not accept an application for grant of certificate of registration before a cooling period of one year from the date of passing of such order.

(10) The Bureau shall host the particulars of certificate of registrations which have been cancelled or not renewed, on its website.

(11) The jeweller shall return the original certificate of registration document to the Bureau in the event of its surrender, cancellation or non-renewal and shall ensure defacing of the hallmark from the precious metal articles available in stock.

(12) In the event of cancellation, non-renewal or the jeweller opting to surrender the certificate of registration, the jeweller shall forthwith destroy all publicity material such as handbills, pamphlets and letterheads, through which the jeweller claims to be the registered jeweller for selling hallmarked precious metal articles.

(13) A registered jeweller, who has been convicted under the provisions of the Act, shall not be eligible to apply for certificate of registration for a cooling period of one year from the date of such conviction.

IndiaCode

Chapter II

Grant, Operation, Renewal, Suspension and Cancellation of Recognition of Assaying and Hallmarking Centre

8. Application for recognition**. -** (1) Any assaying centre set up in accordance with a relevant Indian Standard may apply for grant of recognition to operate as assaying and hallmarking centre.

(2) The application shall be made in the Form-IV annexed to these regulations to the Bureau along with the fee specified in Schedule-II accompanied by self-certified copy of the following documents, namely:-

(a) proof of the establishment of the firm or company;

(b) proof of the address of the premises;

(c) proof of identity of the signatory;

(d) map indicating location of the premises from the nearest landmark;

(e) quality manual; and

(f) affidavit cum undertaking in Form-V

(3) The application shall be signed by the applicant or by any other person authorised in this regard.

(4) The application shall be rejected if it is not accompanied by requisite fee.

(5) The application shall be acknowledged after its receipt and recorded after its scrutiny, if found in order.

(6) If the documents submitted under sub-regulation (2) are not in order, the Bureau may call for required documents or any supplementary information, as the case may be, if required for the purpose of clarification.

(7) On examination, the Bureau may reject an application, if, -

(a) the application is found to be incomplete or without relevant documents;

(b) at any time during processing of application it is found that the assaying and hallmarking centre is indulging in any malpractice amounting to misuse of hallmark for which it is liable to be prosecuted under the Act;

(c) the centre does not have the necessary infrastructure and competence as per the relevant Indian Standard for carrying out assaying and hallmarking of the precious metal articles;

(d) the application is submitted before expiry of cooling period in case of cancellation or non-renewal of recognition as specified in sub-regulation (9) of regulation 13 or conviction under provisions of the Act as specified in sub-regulation (11).

(8) Before rejecting any application under sub-regulation (7), the Bureau shall give a notice to the applicant citing the deficiencies therein.

(9) The applicant may furnish his reply with necessary documents and may request for hearing either in person or through a representative authorised by him within fourteen days from the date of receipt of the notice.

(10) The decision of the Bureau with the grounds of rejection shall be communicated in writing to the applicant.

(11) An applicant or a person convicted under the provisions of the Act shall not be eligible to apply for a cooling period of one year from the date of such conviction.

(12) The application fee shall not be refundable in case of rejection of the application under sub-regulation (7).

9. Grant of recognition. - (1) The Bureau shall grant recognition,-

(a) on satisfaction that the Centre has the necessary infrastructure and competence as per the relevant standard for carrying out assaying and hallmarking of the precious metal articles; and

(b) on payment of recognition fee and assessment fee as specified in Schedule-II.

(2) The certificate of recognition shall be issued in Form-VI annexed to these regulation, giving scope of recognition.

(3) The assaying and hallmarking centre may request for change in scope of recognition.

(4) On receipt of an application under sub-regulation (3), the Bureau may examine the request, carry out assessment, as required for considering the change of scope.

(5) The recognition granted under this regulation shall be valid for a period of three years.

(6) The details of assaying and hallmarking centres recognised by the Bureau shall be hosted on its website.

(7) The recognition of assaying and hallmarking centre shall be subject to the terms and conditions as provided in regulation 10.

10. Terms and conditions of recognized of assaying and hallmarking centre. - (1) The assaying and hallmarking centre shall be responsible for determination of purity and fineness of the precious metal articles hallmarked by it.

(2) The assaying and hallmarking centre shall inform the Bureau whenever there is any change in the management, premises or name and address of the Centre.

(3) The assaying and hallmarking centre shall inform the Bureau of any changes in machinery, equipment, assaying personnel, non-availability of certified reference materials or breakdown of any major equipment affecting sampling, assaying and hallmarking activities.

(4) The assaying and hallmarking centre shall accept the jewellery for hallmarking as per the relevant Standard only from a certified jeweller with request for hallmarking in writing giving details as specified in sub-regulation (7) of regulation 5**.**

(5) In case of any amendment or revision of the standard, the Bureau shall give notice of one month to the assaying and hallmarking centre before its implementation.

(6) The testing and marking shall be carried out as per relevant Indian Standard using calibrated equipment and certified reference material.

(7) The design of hallmark and particulars to be marked with it shall be as specified in the Schedule-III.

(8) The assaying and hallmarking centre shall maintain records as specified by the Bureau including the records of request for hallmarking received from jewellers.

(9) The assaying and hallmarking centre shall take hallmarking fee from jewellers as specified in Schedule-IV and issue bill or invoice for each consignment as per request for hallmarking received, to the jeweller**.**

(10) The assaying and hallmarking centre shall deposit the hallmarking fee to the Bureau as specified in Schedule-IV.

(11) The assaying and hallmarking centre shall furnish the details regarding the precious metal articles hallmarked as well as rejected, in number and weight on monthly and annual basis.

(12) The assaying and hallmarking centre shall co-operate with the authorised representative of the Bureau for the purpose of conducting assessment, in production of relevant records and for inspection and testing of the precious metal articles available with the the centre.

(13) The Bureau may alter any terms and conditions of the recognition during the period of the validity of the recognition by giving thirty day's notice to the assaying and hallmarking centre.

(14) The violation of terms and conditions may lead to the cancellation of the recognition.

IndiaCode

11. Renewal of recognition. - (1)The assaying and hallmarking centre shall submit application for renewal of recognition in Form-VII annexed to these regulations, along with fee as specified in Schedule-II, and self-certified copy of the following documents, namely:-

(a) proof of the establishment of the firm or company;

(b) proof of the address of the premises;

(c) proof of identity of the signatory;

(d) map indicating location of the premises from some nearest prominent landmark;

(e) quality manual; and

(f) affidavit cum undertaking in Form-V annexed to these regulations.

(2) The application for renewal shall be submitted ninety days before the date of expiry of the validity of recognition

(3) The Bureau, on receipt of an application for renewal under sub-regulation (1), may renew the recognition for a period of three years after satisfying that the centre continues to have the necessary infrastructure and competence as per the relevant Standard for carrying out assaying and hallmarking of the precious metal articles and also considering the past records of the applicant.

(4) In case the assaying and hallmarking centre does not apply for renewal before the expiry of validity along with requisite fee, it shall cease to have right to use hallmark after the validity of recognition is over and in such case, the renewal of recognition may be deferred for a period of ninety days from the date of validity by the Bureau.

(5) If, during the period of deferment of recognition, an application is made along with late fee of rupees five thousand, the requisite fee, specified in Schedule-II and required documents, the recognition may be renewed by the Bureau:

Provided that the assaying and hallmarking centre shall not have the right to use hallmark till recognition is renewed by the Bureau.

(6) In case renewal application along with requisite fee and documents is not received within such period of deferment, the recognition shall stand expired.

(7) The decision on renewal of the recognition may be kept under deferment up to six months from the date of its validity, if recognition is under suspension, or being considered for suspension, cancellation or non-renewal.

(8) The decision of deferment shall be informed to the centre in writing with instructions to stop hallmarking of precious metal articles.

12. Suspension of recognition. - (1) If, at any time, there is difficulty in assaying and hallmarking of the precious metal articles or in the event of test equipment getting out of order or due to natural calamities or a lock out declared by the management; or directed by a competent court or statutory authority, the assaying and hallmarking centre shall inform it to the Bureau immediately.

(2) As soon as the events which caused the suspension have been removed, the intimation of revocation of the suspension of operations shall be sent to the Bureau immediately.

(3) If, at any time, the Bureau has sufficient evidence that the assaying and hallmarking may not be conforming to the Indian Standard, the assaying and hallmarking centre shall be directed to suspend its operation and such evidence may not be limited to, but may include one or more of the following, namely:-

(i) non-conformity of hallmarked precious metal articles established after in-house or independent testing;

(ii) non-implementation of the provisionof the relevant Standard;

(iii) non-availability of testing personnel and absence of alternate arrangements;

(iv) relocation of assaying and hallmarking centre;

(v) prolonged closure of assaying and hallmarking centre for more than three months;

(vi) assaying and hallmarking on precious metal articles not included in the scope of the recognition;

(vii) non-submission of monthly or yearly statement regarding hallmarking charges collected from certified jewellers;

(viii) non-payment of marking fee to the Bureau within stipulated period.

(4) The assaying and hallmarking centre whose recognition has been placed under suspension shall inform the Bureau about the compliance of its order.

(5) On receipt of corrective actions, a special assessment, if required, may be carried out to verify the effectiveness of the corrective actions.

IndiaCode

(6) The Bureau shall revoke the suspension after satisfying itself that the assaying and hallmarking centre -

(a) has taken necessary actions;

(b) deposited assessment fee as specified in Schedule -II; and

(c) has provided sufficient evidence to establish competence of the centre as per the relevant standard for assaying and hallmarking of precious metal articles.

13. Cancellation or non-renewal of recognition.- (1) The Bureau may cancel or not renew the recognition of an assaying and hallmarking centre for any of the following reason, namely:-

(a) any declaration made by the assaying and hallmarking centre is found to be false or incorrect;

(b) assaying and hallmarking centre has violated any of the terms and conditions of the recognition;

(c) articles marked with hallmark do not comply with the relevant Indian Standard;

(d) assaying and hallmarking centre has failed to co-operate with the authorised representative of the Bureau during his visit for assessment or for investigating a complaint;

(e) assaying and hallmarking centre is found indulging in any unfair practice such as hallmarking precious metal articles for non-certified jewellers, marking of articles with incomplete hallmark or hallmarking articles without carrying out testing or hallmarked precious metal article is found to have shortage of purity of more than forty parts per thousand;

(f) assaying and hallmarking centre is found to be marking precious metal articles with hallmark during period of suspension;

(g) assaying and hallmarking centre is under suspension for a period of one year;

(h) assaying and hallmarking centre has not taken required corrective actions within stipulated time or in spite of taking corrective actions there is recurrence of similar discrepancies.

(2) Before cancelling or non-renewal of the recognition, the Bureau shall give notice to the assaying and hallmarking centre of its intention to cancel or not to renew the recognition citing the reasons.

(3) In case the notice is issued for cancellation due to reasons provided in clauses (d),(e) or (f) of sub-regulation (1) the centre shall be instructed to stop hallmarking of precious metal articles.

(4) On receipt of notice under sub-regulation (2), the assaying and hallmarking centre may submit an explanation to the Bureau within fourteen days from the date of receipt of the notice.

(5) The Bureau shall consider the explanation and give a personal hearing to the assaying and hallmarking centre or its authorised representative, if sought and the Bureau may consider the request for compounding, if made by the assaying and hallmarking centre as per the provisions of the Act.

(6) In the case of compounding of the offence, the recognition shall not be processed for cancellation.

(7) If no explanation is submitted, the Bureau may cancel the recognition on the expiry of period of the notice.

(8) Where a recognition has been cancelled or not renewed, the assaying and hallmarking centre shall stop marking of precious metal articles with hallmark forthwith.

(9) In case of cancellation or non-renewal due to reasons provided in clauses (e) or (f) of sub-regulation (1) the Bureau shall not accept application for grant of recognition before a cooling period of one year from the date of passing of such order.

(10) When recognition has been suspended, cancelled, not renewed or expired, the Bureau shall host the particulars of the recognition so suspended, cancelled, not renewed or expired on its website.

(11) The assaying and hallmarking centre shall return the original recognition document to the Bureau in the event of its surrender, non-renewal or cancellation.

(12) In the event of cancellation, non-renewal or assaying and hallmarking centre opting to surrender the recognition, the centre shall forthwith destroy all publicity material such as handbills, pamphlets and letterheads, through which the assaying and hallmarking centre claims recognition from the Bureau.

Chapter- III

Grant, Operation, Renewal and Cancellation of Licence for Refinery or Mint

14. Application for licence to use hallmark. - (1) Any manufacturer engaged in refining by aqua- regia or electrolytic process or minting of precious metals, as the case may be, shall apply for a grant of licence under these regulations.

(2) The application under sub-regulation (1) shall be made in Form-VIII annexed to these regulations along with fee specified in Schedule-V.

(3) The application shall be accompanied by self-certified copy of the following documents, namely:-

(a) proof of the establishment of the firm or company;

(b) proof of the address of the premises;

(c) proof of identity of the signatory;

(d) map indicating location of the premises from some nearest prominent landmark;

(e) micro or small scale industry certificate, if applicable;

(f) process flow chart of refining or minting, as applicable

(g) design and weight of the bullion or coin, as applicable

(h) list of manufacturing machinery in Form-IX annexed to these regulations;

(i) list of test equipment with valid calibration in Form-X annexed to these regulations;

(j) accreditation of the laboratory of refinery or mint by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) or London Bullion Market Association (LBMA);

(k) plant layout;

(l) list of technical personnel;

(m) list of certified reference material; and

(n) test report of in-house testing.

(4) The application form shall be signed by the applicant or by any other person authorised in this regard.

(5) The application shall be rejected, if it is not accompanied by requisite fee.

(6) The application shall be acknowledged after its receipt and recorded after scrutiny, if found in order.

(7) The Bureau may call for any supplementary information or documentary evidence from the applicant in support of or to substantiate any statement made by him in his application.

(8) The Bureau may reject an application, if,-

(a) the application is found to be incomplete or without specified documents or does not fulfill the specified requirements.

(b) at any time during processing of application it is found that the applicant is indulging in any malpractice amounting to misuse of hallmark for which it is liable to be prosecuted under the Act;

(c) the applicant does not have the necessary infrastructure and competence as per the relevant Standard and for compliance to the provisions of scheme of testing and inspection;

(d) the refined precious metal does not conform to relevant Standard;

(e) the application is submitted before expiry of cooling period in case of cancellation or non-renewal of licence as specified in sub-regulation (9) of regulation 19 or conviction under provisions of the Act as specified in sub-regulation (12).

(9) Before rejecting an application, the Bureau shall give notice to the applicant citing the deficiencies therein.

(10) The applicant may furnish his reply with necessary documents and may request for hearing, either in person or through a representative authorised by him on his behalf within fourteen days from the receipt of the notice.

(11) The decision of the Bureau with the grounds of rejection shall be communicated in writing to the applicant.

(12) An applicant or a person convicted under the provisions of the Act shall not be eligible to apply for a cooling period of one year from the date of such conviction.

(13) The application fee shall not be refundable in case of rejection of application under sub-regulation (8).

15. Grant of licence.- (1) The Bureau shall grant licence,-

(a) on satisfaction of the Bureau that the applicant has the necessary infrastructure and competence for manufacturing and testing of refined precious metal as per the relevant Indian Standard;

(b) if the refined precious metal conform to the relevant Indian standard;

(c) on payment of marking fee as specified in Schedule-V.

IndiaCode

(2) The applicant shall co-operate with the authorised representative of the Bureau to inspect the premises relating to office, manufacturing, testing, storage and to draw and test sample(s) for the purpose of verification under sub-regulation (1).

(3) The licence shall be granted in Form-XI annexed to these regulations.

(4) The licensee may request for change in scope of licence with fee as per Schedule -V.

(5) The Bureau may examine the request, carry out inspection, as required for considering the change of scope and the revised scope shall be issued in Form XII annexed to these regulations.

(6) The licence granted under this regulation shall be valid for a period of one year.

(7) The details of all licences issued by the Bureau shall be hosted on its website.

(8) The licence shall be subject to terms and conditions as provided in regulation 16.

16. Terms and conditions of licence.- (1) The licensee shall be responsible for fineness of the hallmarked refined precious metal manufactured by it.

(2) The licensee shall inform the Bureau whenever there is any change in the management, premises or name and address of the firm.

(3) The licensee shall inform the Bureau of any changes in machinery, equipment, assaying personnel, non-availability of certified reference materials or breakdown of any major equipment affecting sampling, assaying and hallmarking activities.

(4) The licensee shall test the refined precious metal as per the scheme of testing and inspection as specified by the Bureau and accepted by the licensee.

(5) The licensee shall hallmark refined precious metal that conforms to the relevant Standard.

(6) The design of hallmark and particulars to be marked with it shall be as specified in the Schedule-III.

(7) In case of any amendment or revision of the standard or the scheme of testing and inspection, the Bureau shall give notice of one month to the licensee before its implementation.

(8) The licensee shall maintain records as specified by the Bureau from time to time.

(9) The licensee shall furnish information regarding quantity manufactured, marked, sold, available in stock along with details of the consignees to the Bureau.

(10) The licensee shall co-operate with the authorised representative of the Bureau for inspection and testing, in production of relevant records and drawl of samples.

(11) The licensee shall be liable to pay compensation for any shortage in fineness as per rules.

(12) The Bureau may alter any terms and conditions of the licence during the period of the validity of the licence by giving thirty days' notice to the licensee.

(13) The violation of the above terms and conditions may lead to the cancellation of the licence.

17. Renewal of licence. - (1) The licensee shall submit application for renewal of licence in Form-XIII annexed to these regulations accompanied by fee as specified in Schedule-V.

(2) The application for renewal shall be made before sixty days from the date of expiry of the licence.

(3) The Bureau may, on receipt of application from a licensee, renew the licence for a maximum period of two years in Form-XIV annexed to these regulations.

(4) The licence shall be renewed only after satisfaction of the Bureau that the licensee continues to have the necessary infrastructure and competence for manufacturing and testing of the refined precious metal as per the relevant standard and the scheme of testing and inspection and also considering the past records.

(5) In the case the licensee does not apply for renewal before the expiry of validity of licence or deposit requisite fee or provide required details, it shall cease to have right to use hallmark after the validity of licence is over and in such case, the renewal of licence may be deferred for a period of ninety days from the date of validity by the Bureau.

(6) If, during the period of deferment of licence, an application is made along with late fee of rupees five thousand, requisite fee specified in Schedule-V and required documents, the licence may be renewed by the Bureau:

Provided that the licensee shall not have the right to use hallmark till licence is renewed by the Bureau.

(7) In case renewal application along with requisite fee and documents is not received within the period of deferment, the licence shall stand expired.

(8) The decision on renewal of the licence may be kept under deferment up to six months, if licence is under suspension, or being considered for suspension, cancellation or non-renewal.

IndiaCode

(9) The decision of deferment shall be informed to the licensee in writing with instructions to stop marking and sale of the refined precious metal with hallmark.

(10) The licensee shall confirm to the Bureau about compliance of its order.

18. Suspension of licence. - (1) If, at any time, there is difficulty in maintaining the conformity of the refined precious metal to the Standard or the testing equipment goes out of order or due to natural calamities or a lock out declared by the management; or, closure of operations directed by a competent court or statutory authority, the marking of the refined precious metal shall be stopped by the licensee under intimation to the Bureau.

(2) The marking may be resumed as soon as the defects are removed and information of such resumption of the marking shall be sent to the Bureau immediately.

(3) If, at any time, there is sufficient evidence that the refined precious metal carrying the hallmark may not be conforming to the relevant Standard, the Bureau may suspend the licence and shall direct to stop marking refined precious metal with hallmark and stop sale of hallmarked refined precious metal and such evidence may not be limited to, but may include one or more of the following, namely:-

(i) non-conformity of the refined precious metal established after in-house or independent testing;

(ii) non-implementation of the provision(s) of the scheme of testing and inspection;

(iii) non-availability of testing personnel and absence of alternate arrangements;

(iv) significant modification(s) in the process without prior evaluation and approval of the Bureau;

(v) relocation of manufacturing unit;

(vi) prolonged closure of manufacturing unit for more than three months;

(vii) marking non-conforming refined precious metal;

(viii) marking on refined precious metal of variety not included in the licence;

(ix) non-compliance of any instruction issued by the Bureau.

(4) The licensee whose licence has been placed under suspension shall confirm to the Bureau about compliance of its order.

(5) The licensee shall inform the corrective actions taken to the Bureau and on receipt of corrective actions, a special inspection, if required, may be carried out to verify the corrective actions.

(6) The Bureau shall allow revocation of suspension after satisfying itself that the licensee-

(a) has taken necessary actions;

(b) deposited inspection fee as specified in Schedule-V;

(c) has provided sufficient evidence to establish competence for manufacturing and testing of refined precious metal as per relevant standard;

(d) has provided sufficient evidence to establish conformity of the refined precious metal to the relevant standard;

19. Cancellation or non-renewal of licence. – (1) The Bureau may cancel or not renew a licence for any of the following reason, namely:-

(a) any declaration made by the licensee is found to be false or incorrect;

(b) the licensee has violated any of the terms and conditions of the licence;

(c) the refined precious metal marked with hallmark does not comply with the standard;

(d) the licensee has failed to cooperate with the authorised representative of the Bureau during his visit for inspection or for investigating a complaint;

(e) the licensee is found to be using hallmark during period of suspension;

(f) the licensee is found marking hallmark on refined precious metal of variety not covered in the licence;

(g) the licence is under suspension for a period of one year;

(h) the licensee has not taken required corrective actions within stipulated time or in spite of taking corrective actions there is recurrence of similar discrepancies.

(2) Before cancelling or not renewing a licence, the Bureau shall give notice to the licensee of its intention to cancel or not renew the licence citing the reasons.

(3) In case the notice is issued for cancellation or non-renewal due to reasons provided in clauses (e) or (f) of sub-regulation (1) the licensee shall be instructed to stop marking refined precious metal with the hallmark and stop sale of hallmarked refined precious metal.

IndiaCode

(4) On the receipt of notice under sub-regulation (2), the licensee may submit an explanation to the Bureau within fourteen days from the date of receipt of the notice and the licensee may further request for considering his case for compounding as per provisions of section 33 of the Act.

(5) The Bureau shall consider the explanation submitted and give a personal hearing to the licensee or its authorised representative, if sought and the Bureau may consider the request for compounding, if made by the licensee as per the provisions of the Act.

(6) In the case of compounding of offence, the licence shall not be processed for cancellation.

(7) If no explanation is submitted, the Bureau may cancel the licence on the expiry of period of the notice.

(8) Where a licence is cancelled or not renewed, the licensee shall stop the marking and sale of refined precious metal with hallmark notwithstanding the pendency of any appeal under section 34 of the Act.

(9) In case of cancellation or non-renewal due to reasons provided in clauses (e) or (f) of sub-regulation (1) the Bureau shall not accept application for grant of licence before a cooling period of one year from the date of passing of such order.

(10) When a licence is kept under suspension or cancelled or not renewed or expired, the Bureau shall host the particulars of such licence on its website.

(11) The licensee shall return the original licence document to the Bureau in the event of its surrender, non-renewal or cancellation.

(12) In the event of cancellation, non-renewal or the licensee opting to surrender the licence, the licensee shall forthwith destroy all publicity material such as handbills, pamphlets, and letter- heads through which he claims to be a licensee of the Bureau.

IndiaCode

Schedule I

(refer sub-regulation (2) of regulation 3)

(refer clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 4)

(refer sub-regulation (1) of regulation 6)

Fee for Grant and Renewal of Certificate of Registration

1. Application fee of Rs 2000/- is payable with each application.

2. Registration fee shall be payable as specified in Table-1.

Table-1

Category	Annual turnover (in rupees)	Fee for five year (in rupees)
1	Above 100 crores	80,000
2	Above 25 crores & up to 100 crores	40,000
3	Above 5 crores & up to 25 crores	15,000
4	Less than 5 crores	7,500

3. If a jeweller has five or more outlets anywhere in India, he can opt for the certificate of registration at corporate level covering various retail outlets in one certificate and claim a discount of 10% in registration fee for each outlet.

4. In case of certificate of registration at corporate level, separate application fee shall be payable for each outlet.

5. An application fee of Rs. 2000/- is payable for every request made for inclusion or deletion of retail outlets.

6. Application fee only shall be payable by a jeweller holding a certificate for one precious metal and wanting to obtain certificate of registration for other precious metal.

7. In case, an outlet has certificate of registration for more than one precious metal, registration fee shall be payable for one metal only.

8. Applicable taxes as per prevalent rates shall be payable in addition to above.

9. If the registration fee is paid along with application fee in advance and application is rejected for any reason, the fee shall be refundable.

Schedule II

(refer sub-regulation (2) of regulation 8)

(refer sub-regulation (1) of regulation 11)

(refer clause (b) of sub-regulation (6) of regulation 12)

Fee for Grant and Renewal of Recognition of Assaying and Hallmarking Centre

Sl.No.	Fee	Amount in Rs.
1	Application Fee	10,000/-
2	Renewal Application Fee	5,000/-
3	Assessment Fee (per man day)	5,000/-
4	Recognition fee /Renewal of Recognition Fee (for three years)	60,000/-

Note:

(1) Applicable taxes as per prevalent rates shall be payable in addition to above.

(2) Assessment Fee shall be levied for all assessments on man day basis except surveillance assessment and for complaint investigation.

(3) The travel and stay expenses of the auditors shall be borne by the Centre for all assessments except surveillance assessment and for complaint investigation.

IndiaCode

Schedule-III

(refer sub-regulation(7) of Regulation 10)

(refer sub-regulation(6) of Regulation 16)

Design of Hallmark

Sl. No.	Design of the Hallmark	Precious Metal Articles	Indian Standard
1.	 XX K XXX	Gold Jewellery and artefacts	IS 1417 "Gold and gold Alloys, Jewellery/Artefacts- Fineness and marking"
2.	 XXX	Gold Bullion and Coins	IS 1417 "Gold and gold Alloys, Jewellery/Artefacts- Fineness and marking"
3.	 Silver XXX	Silver Jewellery and artefacts	IS 2112 "Silver and silver Alloys, Jewellery/Artefacts- Fineness and marking"
4.	 Silver XXX	Silver Bullion and Coins	IS 2112 "Silver and silver Alloys, Jewellery/Artefacts- Fineness and marking"

Note:

1. XX in the above design indicate proportionate content of gold in carat.
2. XXX in above designs indicate proportionate content of gold or silver, as applicable, in parts per thousand.
3. Monogram of the hallmark and proportionate content shall be marked in a linear design.
4. Hallmark at Sl.No. 1 and 3 shall be marked by laser marking.
5. Hallmark at Sl.No.2 and 4 shall be marked by punching or embossing.

Schedule IV

(refer sub-regulation (10) of regulation 10)

Hallmarking Fee

1. (a) Hallmarking fee for gold articles payable to recognised Assaying and Hallmarking Centres by jewellers shall be:

(i) Rs. 35/- per article; and

(ii) Minimum fee for a consignment as Rs. 200/-.

(b) The hallmarking fee to be levied by the Bureau from Assaying & Hallmarking Centre for gold articles shall be:

(i) Rs. 3.50 per article; and

(ii) Minimum fee for a consignment as Rs. 20/-.

2. (a) Hallmarking Fee for silver articles payable to recognised Assaying and Hallmarking Centres by jewellers shall be :

(i) Rs. 25/- per article; and

(ii) Minimum fee for a consignment as Rs. 150/-.

(b) The hallmarking fee to be levied by the Bureau from Assaying & Hallmarking Centre for silver articles shall be:

(i) Rs. 2.50 per article; and

(ii) Minimum fee for a consignment Rs. 15/-.

Note: applicable taxes as per prevalent rates shall be levied in addition to above.

IndiaCode

Schedule V

(refer sub-regulation(2) of regulation 14)

(refer sub-regulation(1) of regulation 17)

(refer clause (c) of sub-regulation(1) of regulation 15)

(refer clause (b) of sub-regulation(6) of regulation 18)

Fee for Grant and Renewal of Licence to Refinery or Mint

S.No.	Fee	Amount in Rs.
1	Application Fee	1000/-
2	Licence fee	1000/-
3	Renewal Application Fee	1000/-
4	Inspection Fee (per man day)	7,000/-
5	Marking fee (For Refined Gold as per IS 1417)	For Large scale units - 48,000/- per year (minimum) For MSME -38,400/- per year (minimum) Unit = 1 Kg Unit rate: Rs. 50 Per Kg

Note:

(1) Applicable taxes as per prevalent rates shall be payable in addition to above.

(2) Inspection fee shall be charged for all inspections on man day basis except surveillance inspection and for complaint investigation.

(3) If application is received for a product other than gold for the first time, the marking fee shall be specified through notification of an amendment to this schedule.

(4) The marking fee may be revised by the Bureau from time to time through notification of an amendment to this schedule. The licensee shall pay the dues arising out of marking fee revision.

(5) The actual marking fee or minimum marking fee, whichever is higher shall be payable every year by the licensee.

Note 1: The actual marking fee for the first renewal shall be calculated by multiplying the unit rate with the quantity (units) marked during the first nine months.

Note 2: The actual marking fee for subsequent renewals shall be calculated on year-to-year basis from after the first nine months.

(6) In case of inclusion of new varieties, an amount of rupees five thousand shall be chargeable per request.

Form I

(refer sub-regulation (2) of regulation 3)

Bureau of Indian Standards

Application for Grant of Certificate of Registration to Jewellers

For Sale of Hallmarked Articles

(Strike off whichever is not applicable)

1. Name of Jeweller (firm/company) :

2. (a) Address of Outlet :

with Pin Code, District and State

Tel : Fax :

(With STD Code) (With STD Code)

E mail:

(b) Location along with Landmark :

3. Type of Ownership: Proprietorship /Partnership / Private Limited Company / PSU

4. Details of Management: (Name of all Partners/Directors to be mentioned)

Name Designation

(Proprietor/Partner/Director/CEO)

(i)

(ii)

(iii)

5. Details of Contact Person:

Name: Designation Mobile: e-mail:

6. Certificate applied for: Gold Jewellery/artefacts as per IS 1417 and/or

Silver Jewellery/artefacts as per IS 2112

7. (a) Any other BIS Certificate held: Yes / No

(b) If yes, give details: Certificate No: IS No.:

Validity: Product:

8. Annual Turnover in Crores (attach proof) :

9. If Application is for Certificate at Corporate level: Yes/No

In case of Yes, details of outlets to be covered to be given in format below (enclose separate sheet, as required)

S.No	Location of Outlet (State and City/Town)	Address of outlet	Contact Person at outlet (Name & Designation)	Contact details at outlet (Phone No., Email Id etc.)

10. Details of Previous Cancellation/Convictions, if any, :

11. Details of Payment: Demand draft / Net Banking / Bank Challan

(please refer to the fees applicable for jewellers)

Amount (in Rs.)	Name of Bank	Demand draft No. /UTR No. / Bank Challan No.	Date

12 I/We shall use the following identification mark or logo on jewellery/artefact for the purpose of Hallmarking. This identification mark shall be provided to the Assaying & Hallmarking Centre when jewellery/artefact is offered for Hallmarking. I/We, shall on our own, not apply the identification mark, in any manner, on the hallmarked jewellery/artefact.

13. I/We undertake that we shall strictly follow the provisions of Bureau of Indian Standards Act, 2016, Rules, 2017, and Hallmarking Regulations 2018 and guidelines for conformity assessment scheme issued thereunder upon grant of Certificate by Bureau of Indian Standards for sale of gold or silver hallmarked articles as per IS 1417/2112.

IndiaCode

Signature

(Proprietor/Partner/Director)

Name

Date: Designation

Place: Seal

Form II

(refer sub-regulation (2) of regulation 4)

Bureau of Indian Standards

Certificate of Registration for Selling Articles with Hallmark

Certificate No. : HM/C-

1. By virtue of the powers conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau hereby grants to/renews the certificate granted to (strike out as applicable)

M/s

Address of premises:

Certificate for using Hallmark set out in the first column of the Schedule here to, upon the article, set out in the second column of the said Schedule, and selling of hallmarked article from the sales outlet to which the Certificate is being granted to. The articles shall be hallmarked only by Assaying and Hallmarking centre recognised by the Bureau of Indian Standards (BIS) after verification of conformity to the Indian Standard as set out in the third column of the said Schedule.

InstaCode

Schedule

Hallmark	Article	Indian Standards
(1)	(2)	(3)

2. This Certificate shall operate in accordance with the provisions laid down in Bureau of Indian Standards Act, 2016 Bureau of Indian Standards Rules 2017, Bureau of Indian Standards Hallmarking Regulations, 2018 and guidelines for conformity assessment scheme issued thereunder.

3. This Certificate shall be valid from ------- to -------and may be renewed in accordance with the said Regulations. Signed, Sealed and Dated this _____day of _____ two thousand _____

for Bureau Of Indian Standards

Name and Signature of Designated Authority

Form III

(refer sub-regulation (1) of regulation 6)

Bureau of Indian Standards

Application for Renewal of Certificate of Jeweller

Head, _____ Branch Office

Bureau of Indian Standards,

Dear Sir/Madam,

I/we, carrying on business at_..... (Full address of sales outlet) under the style of …… (Full name of individual or firm) apply for renewal of Certificate No. HM/C _____dated _____ granted by the Bureau under the Bureau of Indian Standards Act, 2016, and the Rules and Regulations framed thereunder, as amended from time to time, for a further period of five years, the terms and conditions being the same as stipulated in my/our previous application and the aforesaid certificate, and/or such other conditions as the Bureau may stipulate.

2. Date of grant of certificate: Valid upto:

3. Name of Product : IS No. :

4. Details of sales of hallmarked jewellery/artefacts under the certificate for the period covered: From Date of grant/renewal of certificate to 3 months before validity date i.e from_____ to _____

(a) Jewellery/Artefact sent for Hallmarking: (a) Qty. in No. of pcs

(b) Qty. in weight

(b) Sale of Hallmarked Jewellery/Artefact: (a) Qty. in No. of pcs

(b) Qty. in weight

(c) Name(s) and Addresses of A and H Centre(s) to which jewellery was sent for hallmarking during the period:

5. I/We are enclosing herewith a UTR No. _____dated_____ / Bank Draft No._____dated _____ for Rs_____ drawn on _____ ____ towards the following dues:

(i) Renewal application fee of Rs. _____

(ii) Certification fee for five years of Rs. -----

(iii) Applicable taxes @ ---%

(iv) Previous dues (as per our notice) if any

(v) Total amount Rs……..…….

6. Renewal application dated this _____ day of _____ Two thousand and _____

Signature

Name

Designation

For and on behalf of

Seal

IndiaCode

Form IV

(refer sub-regulation (2) of regulation 8)

Application for Recognition of Assaying and Hallmarking Centre in accordance with IS 15820

1.	Name of Assaying and Hallmarking Centre and Complete Address	
1.1	Name of the Centre	
	Complete Address (clearly indicate prominent landmark and attach location plan)	
	Telephone / FAX	
	Email	
1.2	Complete address of the Registered Office (if different from 1.1 above)	
	Telephone / FAX / Email	
1.3	Type of Ownership	Proprietorship / Partnership / Limited Company / Government. / PSU
1.4	Provide Name of Prop., all partners and Directors with designation	

1.5	Premises of the Centre and its Legal Identity	
	Document authenticating premises of the centre (enclose self-attested copy of document)	
	Document establishing legal identity of the centre (enclose self-attested copy of document)	
2.	Scope of Recognition	
2.1	Scope of Recognition Applied for (specify details as per guidelines)	Gold / Silver / Gold and Silver Both
3.	Name and Designation of Owner/Chief Executive of the Applicant	
3.1	Telephone / FAX / Email	
3.2	Name and Designation of the person responsible for the Quality System Management in the Centre	
4.	Employees/Personnel	
4.1	Total number of employees in the centre	

IndiaCode

4.2 Department-wise details with name, designation, qualification, experience, training details, etc. (attach separate sheet as per the following format)

Department	Name	Designation	Qualification	Experience	Training Details	Name of deputy, if any

5.	Test Equipment/ Instruments and Test facilities								
5.1	Clause wise list of test equipment/facilities including consumables, water & electricity supply with back up as per the following format *(please attach separate sheet)*								
Sl. No.	IS No. & Clause Ref.	Method of Test (if and as applicable)	Test Facility (Equipment Ref. Material etc.)	Model/Type/ Serial no. l and make	Range, Accuracy & Least Count (if and as applicable)		Calibration (if and as applicable)		Remarks, If any
					Range	Least Count	Validity	Traceability	
6.	Centre Premises/Layout								
6.1	Total space available and Space of Assay room (in Sq feet)								
6.2	Layout plan of the centre indicating testing area, office etc. (attach Layout Plan)								

7.	Centre's Quality Management System	
7.1	Details of Quality Manual implemented in the Assaying & Hallmarking Centre (Document No, Issue No and date) (copy of Quality manual to be enclosed)	
8	Proficiency Testing/Inter Laboratory Test Comparison	
8.1	Please provide details of your centre's participation in proficiency testing/ Inter Laboratory test programme (during last three years). .	
9.	Insurance	
9.1	Has professional Indemnity Insurance been taken? If yes, please provide policy no., validity date and amount of insurance taken	Yes / No
9.2	Has Insurance for artefacts under process/stock and high cost equipments been taken? If yes, please provide policy no., validity date and amount of insurance taken	Yes / No
10	Preparedness for Assessment	
10.1	By which date will the centre be ready for assessment?	
11.	Details of Previous Cancellation/Convictions, if any	
12.	Details of Payment (refer to the fee applicable for AHCs)	
12.1	Amount	
12.2	Name of the Bank	
12.3	DD No./UTR No./Bank Challan No.	
12.4	Date	
13	Any other information which the centre may like to provide	

IndiaCode

Declaration

This is to declare that I have read and understood provisions of Bureau of Indian Standards Act, 2016, Bureau of Indian Standards Rules, 2017 and Bureau of Indian Standards (Hallmarking) Regulations 2018 and guidelines for conformity assessment scheme for Assaying & Hallmarking (A and H) Centre and undertake to abide by them.

Signature

Name

Designation (Proprietor/Partner/Director)

Date:

Seal

Place:

Form- V

(refer clause (f) sub-regulation (2) of regulation 8)

Affidavit cum undertaking to be submitted by Assaying & Hallmarking Centre for BIS Recognition

1. I/We (Name of A and H Centre) ……..an Assaying & Hallmarking Centre (which expression shall include its heirs, and/or assigns) having its laboratory at address…….
…… and hereby undertake that we shall strictly follow the provisions of Bureau of Indian Standards Act 2016, Bureau of Indian Standards Rules 2017, Bureau of Indian Standards (Hallmarking) Regulations 2018 and guidelines for conformity assessment scheme for Assaying and Hallmarking Centres, as amended from time to time.

2. I/We, , Proprietor /Managing Partner, Chief Executive Officer representing M/s ,hereby declare that the A&H Centre has a legal identity and independent status. The A&H Centre has been established in accordance with the requirements of IS 15820 "General Requirements for Establishing and operation of Assaying and Hallmarking Centres" and shall continue to abide by requirements of this Indian Standard, as amended from time to time.

3. I/We agree and fully understand that under the Hallmarking Scheme of BIS, accurate determination of precious metal (gold or silver) content in jewellery or artefacts and marking of the BIS Hallmark on the jewellery or artefacts provided to it by only BIS certified jeweler, on chargeable basis is the responsibility of the assaying and hallmarking centre.

4. I/We agree to indemnify BIS for all claims/damages arising out of hallmarking of any gold or silver article due to shortage of purity that may be made against BIS by any person/consumer/association/ jeweller etc.

5. I/We shall use the BIS logo only with the words "BIS recognised A and H Centre" on documents such as letterhead, receipt, invoice, delivery challan, assay sheet, test - report of assay, certificate of hallmarking, if issued, and for publicity through print and/or electronic media.

6. I/We shall neither use its recognition in any manner so as to bring disrepute to BIS nor shall make any statement relevant to its recognition which may be considered misleading by BIS.

7. I/We shall not subcontract any of our activities including receiving, sampling, assaying and hallmarking to any other agency as specified in IS 15820.

8. The identification mark or logo as given below is owned by us. We have given this mark or logo for its application as a component of Hallmark on the jewellery or artefacts assayed and Hallmarked by us for only BIS certified jewelers. We shall not use any other Identification Mark or logo for Hallmarking. Prior permission of the Bureau shall be taken in case we wish to change the Mark registered with the Bureau. We shall be responsible for display of our mark or logo on such jewellery or artefacts.

9. I/We understand that the validity of recognition of an A and H Centre is for a period of three years subject to satisfactory performance based on assessment of its capability and competence by BIS. This affidavit shall remain in force until the recognition is cancelled by BIS. Any violation of the affidavit cum undertaking may lead to the cancellation of the Recognition.

10 . I/We also declare that there has been no conviction of promoter(s) or any of their close relatives for any criminal offence in the last one year.

11. I/We also declare that none of the promoter(s) or any of their close relatives has/have been involved in any serious irregularity in the running of any other Assaying & Hallmarking Centre during the last one year.

12. I/We also declare that the promoter(s) of the A and H centre do not have any linkage with jewellery trade or manufacturing.

13. I/We hereby declare that the following jewellers holding BIS certficate are owned by my/our close relatives*.

Sl. No.	Name of the Proprietor/Partner(s) / Director(s) of the A and H Centre	Name of the relative(s) owning jewellery firm and their relationship with name in col 2	Name and address of the jeweller	BIS certficate No. of the jeweller
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

14. I/We declare that in case of any change in the list of jewellers as listed above, I/We shall immediately intimate BIS about such change.

15. I/We declare that my/our A and H Centre shall not accept any jewellery/artefact for hallmarking from any of the above mentioned jewellers.

16. I/We understand that in case the above declaration is found to be false by BIS at any stage, the recognition granted to my/our A and H Centre is liable to be cancelled.

Signature

(Proprietor/Partner/Director)

Name

Designation

Seal

Date

Place

Note: *Relative' with reference to any person, shall means anyone who is related to another, if—

(a) they are members of a Hindu Undivided Family;

(b) they are husband and wife; or

(c) if he or she is related to another in the following manner, namely:—

(i) Father including step-father. (ii) Mother including step-mother (iii) Son including the step-son (iv) Son's wife (v) Daughter (vi) Daughter's husband (vii)Brother including the step-brother (viii) Sister including the step-sister.

IndiaCode

Form VI

(refer sub-regulation (2) of regulation 9)

Bureau of Indian Standards

Certificate of Recognition for Assaying and Hallmarking Centre

Recognition No. : HM/R-

1. By virtue of the powers conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau hereby grants recognition/ renews recognition granted (strike out as applicable) as per Indian Standard IS 15820 specifying 'General Requirements for Establishment and Operation of Assaying and Hallmarking Centres' to

M/s

Address:

For using Hallmark set out in the first column of the Schedule here to, upon the article, set out in the second column of the said Schedule for marking of precious metal articles received from jewellers certified by the Bureau of Indian Standards. The articles shall be hallmarked by the Assaying and Hallmarking centre after verification of conformity to the Indian Standard as set out in the third column of the said Schedule. The scope of the recognition shall be as set out in the fourth column of the said Schedule.

Schedule

Hallmark	Article	Indian Standards	Scope of Recognition
(1)	(2)	(3)	(4)

2. This recognition shall operate in accordance with the provisions laid down in Bureau of Indian Standards Act, 2016 Bureau of Indian Standards Rules 2017, Bureau of Indian Standards (Hallmarking) Regulations 2018 & guidelines for Hallmarking Scheme issued thereunder.

3. This recognition shall be valid from _____ to _____and may be renewed in accordance with the said Regulations.

Signed, Sealed and Dated this _____day of _____ two thousand _____

for Bureau of Indian Standards

Name and Signature of Designated Authority

Form VII

(refer sub-regulation (1) of regulation 11)

Bureau of Indian Standards

Application for Renewal of Recognition of Assaying and Hallmarking Centre in accordance with IS 15820

(Strike-off whichever is not applicable)

1.	Name of Assaying and Hallmarking Centre and Complete Address	
1.1	Name of the Centre	
	Complete Address (clearly indicate prominent landmark and attach location plan)	
	Telephone / FAX / Email	
1.2	Complete address of the Registered Office (if different from 1.1 above)	
	Telephone / FAX / Email	
1.3	Type of Ownership	Proprietorship / Partnership / Limited Company / Government / PSU
1.4	Premises of the Centre and its Legal Identity	
	Document authenticating premises of the centre in case of any change (otherwise confirm – no change) (enclose self-attested copy of document)	
	Document establishing legal identity of the centre in case of any change (otherwise confirm – no change) (enclose self-attested copy of document)	
2.	Recognition	
2.1	Validity of the Recognition (applicable in case of renewal of recognition)	
3.	Scope of Recognition	
3.1	Existing Scope of Recognition (specify details as per guidelines)	Gold / Silver / Gold & Silver Both

IndiaCode

3.2	Any change proposed in the scope of recognition. If yes, please indicate details.	Yes / No
4.	Management Structure of the Centre	
4.1	Name & Designation of Owner/Chief Executive of the Applicant	
	Telephone / FAX / Email	
4.2	Name & Designation of the person responsible for the Quality System Management in the Centre	
5.	Employees/Personnel	
5.1	Total number of employees in the centre	

5.2 Department-wise details with name, designation, qualification, experience, training details, etc. (attach separate sheet as per the following format)

Department	Name	Designation	Qualification	Experience	Training Details	Name of deputy, if any

6.	Test Equipment/ Instruments and Test facilities
6.1	Clause wise list of test equipment/facilities including consumables, water & electricity supply with back up as per the following format *(please attach separate sheet)*

Sl. No.	IS No. & Clause Ref.	Method of Test (if and as applicable)	Test Facility (Equipment Ref. Material etc.)	Model/Type/ Serial no. and make	Range, Accuracy and Least Count (if and as applicable)		Calibration (if and as applicable)		Remarks, If any
					Range	Least Count	Validity	Traceability	

7.	Centre Premises/Layout	
7.1	Total space available & Space of Assay room (in Sq feet)	
7.2	Layout plan of the centre indicating testing area, office etc. (a*ttach Layout Plan*)	
8.	Centre's Quality Management System	

IndiaCode

8.1	Details of Quality Manual implemented in the Assaying & Hallmarking Centre (Document No, Issue No & date) (copy of Quality manual to be enclosed, if revised)	
8.2	Is your centre accredited as per IS/ISO/ IEC 17025 If yes, date of validity of accreditation	Yes / No
9.	Details of Payment (refer to the fee applicable for AHCs)	
9.1	Amount	
9.2	Name of the Bank	
9.3	DD No./UTR No./Bank Challan No.	
9.4	Date	
10	Any other information which the centre may like to provide	

Indian Code

Declaration – This is to declare that I have read and understood provisions of Bureau of Indian Standards Act, 2016, Bureau of Indian Standards Rules 2017 and Bureau of Indian Standards (Hallmarking) Regulations 2018 and guidelines for conformity assessment scheme for Assaying and Hallmarking (A and H) Centre and undertake to abide by them.

Signature

Name

Designation (Proprietor/Partner/Director)

Date:

Seal

Place:

Form-VIII

(refer sub-regulation (2) of regulation 14)

Bureau of Indian Standards

Application for Grant of Licence to use the Hallmark

1. Full Name of Firm :

2. (a) Office Address :
with Pin Code, District and State
Tel : Fax : E mail:
(With STD Code) (With STD Code)
(b) Factory Address :
with Pin Code, District and State
Tel: Fax : E mail:
(With STD Code) (With STD Code)

3. Correspondence Address: Office/Factory

4. Details of Management:

	Name	Designation
(i)		
(ii)		
(iii)		

5. Details of Quality Control Personnel and Assayer:

	Name	Designation
(i)		
(ii)		
(iii)		

6. Details of Contact Person:

Name: Mobile: e-mail:

7. Details of Firm :Large /MSME:

8. Licence applied for: This application is being made to use the BIS Hallmark on:

Product	
IS/Part/Sec./Year	
Variety to be covered	

9.

Units of Production	Present Installed capacity	Qty.	value

10. (a) Any other BIS Licence held: Yes / No

(b) If yes, give details: Licence No: Product: IS No.:

11. Details of Previous Cancellation/Convictions, if any, :

12. Details of Payment: Demand draft / Net Banking / Bank Challan

(Please refer to the fees applicable for jewellers)

Amount (in Rs.)	Name of Bank	Demand draft No. /UTR No. / Bank Challan No.	Date

13. I/We undertake that we shall strictly follow the provisions of Bureau of Indian Standards Act, 2016 Bureau of Indian Standards Rules 2017, Bureau of Indian Standards (Hallmarking) Regulations 2018 and guidelines for conformity assessment scheme issued thereunder upon grant of licence by BIS.

Signature

(Proprietor/Partner/Director)

Name

Designation

Seal of Firm

Date:

Place:

IndiaCode

Form-IX

(refer clause (h) of sub-regulation (3) of regulation 14)

Declaration regarding Manufacturing Machinery

No entry to be crossed

1. Application/Licence No:
2. Name/Address

Sl. No.	Machinery	Make/ Identification No.	Production capacity per day, if applicable	Number	Remarks

Note: Attach extra sheet, if required

I hereby declare that the machinery details of which given above are available with us I also declare that I will send prior intimation to BIS whenever any machinery is not available due to any reason. Signature of Firm's Representative _____ Name Designation Date	I have verified the availability of the above mentioned machinery during my inspection. Sig. of BIS I.O. _____ Name Designation Date of verification

IndiaCode

Form X

(refer clause (i) of sub-regulation (3) of regulation 14)

Declaration regarding Test Equipment

No entry to be crossed

1. Application/Licence No:
2. Name/Address

Sl. No.	Test Equipment/Chemicals and Identification Numbers (Where applicable)	Least Count & Range (Where applicable)	Valid Calibration (Where required) Yes/No	Tests Used in with Clause Reference	Remarks (Indicate number of Equipment)

Note: Attach extra sheet, if required

I hereby declare that the testing equipments details of which given above are available with us I also declare that I will send prior intimation to BIS whenever any testing equipment is not available due to any reason. Signature of Firm's Representative _____ Name Designation Date	I have verified the availability of the above mentioned testing equipments during my inspection. Sig. of BIS I.O. _____ Name Designation Date of verification

IndiaCode

Form-XI

(refer sub-regulation (3) of regulation 15)

Bureau of Indian Standards

Licence for the use of Hallmark

Licence No. HM/L—

By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) the Bureau hereby grants licence to

M/s

(hereinafter called 'the Licensee) this Licence to use the Hallmark set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the varieties set out in the third column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended or revised. The marking fee shall be as specified in the fourth column of the said schedule.

Schedule

Hallmark (1)	Indian Standard (2)	Scope of Licence (3)	Marking Fee (4)
			₹ ____ per unit for the _____ units, with a minimum marking fee of ₹ _____ /- during an operative period of one year Unit - _____ Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s)

2. This Licence shall operate in accordance with the provisions laid down in Bureau of Indian Standards Act, 2016, Bureau of Indian Standards Rules, 2017, Bureau of Indian Standards Hallmarking Regulations, 2018 and guidelines for conformity assessment scheme issued thereunder.

3. This Certificate shall be valid from ------- to -------and may be renewed in accordance with the said Regulations.

Signed, Sealed and Dated this day of month of year

for Bureau of Indian Standards

Name and Signature of Designated Authority

Form XII

(refer sub-regulation (5) of regulation 15)

Bureau of Indian Standards

Attachment to Licence No. HM/L-

HM/L-	Name of the Licensee with the Factory Address	Name of the Product	Indian Standard No.

Endorsement No. Dated

The following addition/deletion of variety/varieties has (have) been approved by the Bureau with effect from

Consequent upon the above changes, the revised scope of licence in Column (3) of the table in the schedule of the licence is amended as follows:

Other conditions of the licence remain the same.

Signature of Designated Authority

(Name of Designated Authority)

IndiaCode

Form - XIII

(refer sub-regulation (1) of regulation 17)

Application for Renewal of Licence

Head Branch Office

Bureau of Indian Standards

Dear Sir/Madam,

I/we, carrying on business at (Full factory and office address) apply for renewal of Licence No.HM/Lgranted by the Bureau under Bureau of Indian Standards Act, 2016, and the Rules and Regulations framed thereunder, as amended from time to time, for a further period from to, the conditions being the same as stipulated in the aforesaid licence and amended from time to time.

2. Details of production of goods bearing BIS Hallmark effected under the licence are given in the report of performance (Annex II) placed overleaf duly authenticated by CEO/authorised signatory of our company.

3. I/We are enclosing herewith Receipt No._____dated _____ for □_____ towards the following dues:

(i) Renewal application fee ₹

(ii) Annual Licence fee ₹ per year rate

(iii) Marking fee calculated on unit-rate basis
(item 3 of the Report overleaf) or Minimum Marking Fee, whichever is higher

(iv) Previous dues/Other fee (as per BIS notice) if any.

(v) Total amount ₹

Signature

Date

Name

Designation

Seal of Firm For and on behalf of

IndiaCode

Annexure to Form - XIII

Report of Performance

(Period to be covered by the Report being to …….....)

Name of Product Indian Standard No.

Licence No. – HM/L—

1. Total production of the article(s)
2. Production covered with BIS hallmark and its approximate value
 2.1 Quantity _____
 2.2 Value(₹) _____
3. Calculation of marking fee:
 3.1 Unit _____
 3.2 Marking-Fee per unit _____
 3.3 Marking fee obtained by multiplying unit rates as at 3.2 with quantity as at 2.1

 3.4 Minimum Marking Fee _____
4. Quantity not covered with BIS Hallmark, if any, and the reasons for such non-coverage
5. Names and addresses of all purchasers of BIS certified goods including Union/State Government Ministry/Department/Undertaking etc. (if applicable)
6. Month-wise Production statement for the period mentioned

Note : Attach separate sheet, if required

Form – XIV

(refer sub-regulation (3) of regulation 17)

Bureau of Indian Standards

Attachment to Licence No. HM/L-

HM/L-	Name of the Licensee with the Factory Address	Name of the Product	Indian Standard No.

Endorsement No. Dated

Whereas, the licence was valid upto …….. ,

*And, whereas the renewal was deferred till …… and licensee was not allowed to use or apply the Standard Mark from ……. to ……. (*Strike out, if not applicable),

Now, consequent upon renewal, the validity of the licence given in the schedule of the original licence/endorsement No. ….. has been extended from ……. to ……

Other conditions of the licence remain the same.

IndiaCode

Signature of Designated Authority

(Name of Designated Authority)

H. L. Upendar , Scientist G & DDG (CA & PP&C)

[ADVT. III/4/Exty./103/18-19]]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.06.18 22:12:00 +05'30'